सत्यमेव जयते

मामला संख्याः एडी (ओआई)-15/2025

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम निष्कर्ष

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म"।

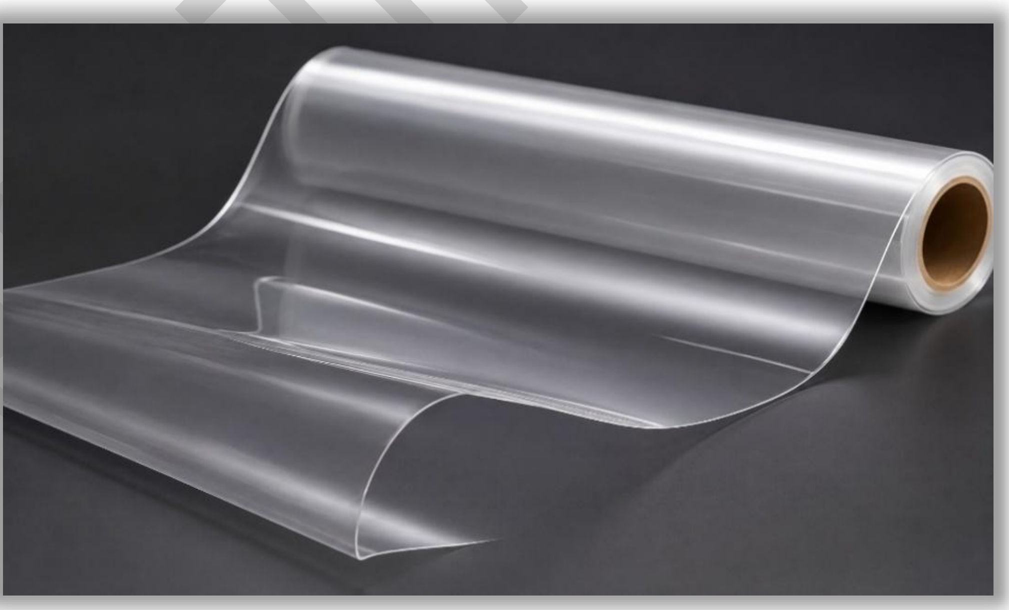

पेंट संरक्षण फिल्म (पीपीएफ) का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

गैर-गोपनीय

<u>तालिका की सामग्री</u>

क. प्रक्रिया 5
ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु 8
ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 8
ख.2 घरेलू उद्योग के विचार 10
ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 11
ग. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार 15
ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 16
ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध 16
ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 16
घ. गोपनीयता 16
घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 16
घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध 17
घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 17
ङ. उत्पादकों/निर्यातकों का नमूना चयन 17
ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 17
ङ.2 घरेलू उद्योग के विचार 20
ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 20
च. विविध मुद्दे 23
च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध 23
च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध 24
च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 25
छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण 26
छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध 26
छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध 26
छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 27
छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण 29
छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण 31
छ.3.3 पाटन मार्जिन 33
ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच 34
ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध 34
ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध 35

गैर गोपनीय

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 36
झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण 47
ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा 51
ट. प्रभाव आकलन 52
लोकहित ब्याज और घरेलू उद्योग ब्याज 52
ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 52
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध 52
ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 53
ठ. प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियां 56
ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 56
ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध 57
ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 58
ड. निष्कर्ष 62
ढ. सिफारिशें 64
ण. आगे की प्रक्रिया 66

गैर गोपनीय

<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड- I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/17/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 12 जून, 2026

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 15/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. संख्या 06/17/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) द्वारा दायर आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी", "टीपीयू पीपीएफ" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग की गई है।

ii. प्राधिकारी ने आवेदन की जांच की और पाया कि संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर निर्यात होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. संख्या 06/17/2025-डीजीटीआर, दिनांक 16 जून 2025 के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू की, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

गैर गोपनीय

क. प्रक्रिया

1. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

1.1. जांच की शुरुआत

i. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले, प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. संख्या 06/17/2025-डीजीटीआर, दिनांक 16 जून 2025 ("जांच शुरुआत अधिसूचना") के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

1.2. जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लेखित, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 माह) तक है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और पीओआई शामिल होंगे।

1.3. आयात संबंधी आंकड़े

i. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु डीजी सिस्टम्स को अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

1.4. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

1.5. संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावलियों को चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अग्रेषित करे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

अगोपनीय

iii. निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	3एम इनोवेशन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
2	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड
3	बीएएसएफ कोटिंग्स टेक्नॉलजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
4	बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड
5	ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड
6	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड & नलिनव इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझू) कंपनी लिमिटेड
7	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड
8	शंघाई एनएआर औद्योगिक कंपनी लिमिटेड
9	सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड
10	झाओकिंग केएल नई मटेरियल टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड
11	झाओकिंग मोर्थिक फिल्म टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड

1.6. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक जानकारी मांगते हुए आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।

ii. निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता संघों ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र. सं.	आयातक/प्रयोक्ता/संघ
1	3एम इंडिया लिमिटेड
2	एवरी डेनिसन (भारत) प्राइवेट लिमिटेड
3	क्रेस्ट ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस एलएलपी

1.7. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करें।

1.8. आर्थिक हित प्रश्नावली

अगोपनीय

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग और भारत में अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली 18 जून 2025 को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

1.9. मौखिक सुनवाई

i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 अप्रैल, 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध, और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, दायर करने का अनुरोध किया गया।

1.10. आगे की प्रक्रिया

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे ("उत्पाद दायरा") और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दायर करने का निर्देश दिया गया था। पक्षकारों के अनुरोध पर, 05.07.2025 तक समय-विस्तार प्रदान किया गया। दायर किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने 17.09.2025 की सूचना के माध्यम से वर्तमान जांच के लिए विचार की जाने वाली उत्पाद व्याप्ति और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की, जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।

ii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उसके साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

iii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया, जिस सीमा तक वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

iv. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

v. प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों को तैयार करते समय कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई जानकारी और किए गए अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की है, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए।

गोपनीय

vi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा समय पर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

vii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों को ऐसी जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय सार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

viii. प्राधिकारी ने नियम 16 के अनुसार 02.06.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इन अंतिम निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गई हैं।

ix. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता के संबंध में, जो वर्तमान अंतिम निष्कर्षों का आधार है, संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया, जिस सीमा तक उन्हें संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।

x. इन अंतिम निष्कर्षों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसी मानी गई जानकारी का द्योतक है।

xi. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.58 रु. है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किया है के साथ संबंध में विचाराधीन उत्पाद का दायरा, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति:

i. बीएएसएफ समूह ने उत्पाद की छह श्रेणियों के अपवर्जन की मांग की है, अर्थात: उच्च प्रकाशीय स्पष्टता टीपीयू पीपीएफ; अत्यल्प धुंधलापन टीपीयू पीपीएफ; विस्तारित पराबैंगनी स्थायित्व टीपीयू पीपीएफ; रासायनिक प्रतिरोधी टीपीयू पीपीएफ; सटीक लचीलापन टीपीयू पीपीएफ; और उच्च शक्ति टीपीयू पीपीएफ। बीएएसएफ अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित न किए गए उत्पादों को पीयूसी से बाहर रखा जाना चाहिए। बीएएसएफ ने "समान वस्तु" की संकल्पना पर भरोसा किया, डीजीटीआर नियम-पुस्तिका, और पूर्व निर्णय को तर्क देता है कि घरेलू उद्योग नहीं कर सकता दावा क्षति से उत्पाद यह निर्माण नहीं करता है।

ii. बीएएसएफ इसके अलावा तर्क देता है कि उसके व्यापार-चिह्नित उत्पाद उच्च कीमत वाले हैं और बेचा के साथ अधिक आश्वासन समर्थन, भिन्न गुणवत्ता मापदंड, और उच्च श्रेणी टीपीयू राल को एक भिन्न ग्राहक खंड सहित लक्जरी वाहन प्रयोक्ताओं। बीएएसएफ ने प्रयोगशाला साक्ष्य प्रस्तुत किए (क्यूवी परीक्षण रिपोर्टें) तुलना करते हुए नमूने का घरेलू उद्योग का उत्पाद के साथ आयातित उत्पाद, जो कथित रूप से महत्वपूर्ण दर्शाते हैं तकनीकी अंतर पर मापदंड ऐसी के रूप में प्रत्यास्थता मापांक, आसंजन बल, दाग प्रतिरोध, और पराबैंगनी पुराना पड़ने संबंधी प्रदर्शन (Δई मूल्य, चमक धारण, धुंधलापन)।

iii. बीएएसएफ दलील देता है कि घरेलू उद्योग की अपवर्जन पर आपत्ति पर आधारित है वास्तविक निर्माण और वाणिज्यिक बिक्री के बजाय क्षमता संबंधी तर्क और वाणिज्यिक बिक्री। उसने भरोसा किया है नियम 2(बी), नियम 2(डी) का पाटनरोधी नियमावली, और पैराग्राफ 3.10 का नियम-पुस्तिका, दावा करते हुए कि मात्र क्षमता, उत्पादन अथवा उत्पादन या व्यापारिक बिक्री नहीं हो सकता हो पर्याप्त पूर्व निर्णय में माहले आनंद थर्मल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, ोक्सो अल्कोहल उद्योग' संघ बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, और भारतीय रिफ्रैक्टरी मेकर्स संघ बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी को समर्थन में उद्धृत किया गया है।

iv. एनएआर समूह ने अपवर्जन की मांग की है: टीपीयू पीपीएफ 200 माइक्रोन से अधिक मोटाई, रंगीन टीपीयू पीपीएफ, और सनरूफ टीपीयू पीपीएफ। एनएआर दलील देता है कि ये हैं अलग उत्पाद श्रेणियां मांग करते हुए भिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं, कच्चे माल, और तकनीकी विशेषज्ञता

v. एवरी समूह ने अपवर्जन की मांग की है: रंगीन टीपीयू-आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म और टीपीयू-आधारित सतह संरक्षण फिल्म के साथ चौड़ाई का 1.83 मीटर, पर आधारस कि याचिकाकर्ता विनिर्माण करता है केवल पारदर्शी फिल्म और कि 1.83-मीटर चौड़ाई फिल्म आवश्यक हैस भिन्न मशीनरी, हैंडलिंग और स्थापना आवेदन।

vi. सीहो उठाता महत्वपूर्ण है रूप से समान आपत्तियां के रूप में बीएएसएफ, बताते हुए कि उसके निर्यात बेकाफी को एक उच्च श्रेणी/व्यापार-चिह्नित बाजार स्थान और बेचे जाते हैं के साथ अधिक आश्वासन समर्थन और उच्च श्रेणी आगत उपयोग

vii. नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड और नलिनव इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझू) कंपनी लिमिटेड और बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह स्पष्ट रूप से पुष्टि करना कि आधार टीपीयू फिल्म पीयूसी का भाग नहीं है।

viii. 3एम दलील देता है कि प्राधिकारी ने अंतिम रूप दिया पीयूसी का दायरा और पीसीएन पद्धति पर विचार किए बिना 3एम की टिप्पणियों और बिना जारी करते हुए एक कारणयुक्त आदेश। 3एम ने पुनर्विचार की मांग की है पीसीएन पद्धति।

ix. 3एम इसके अलावा तर्क देता है कि वहां महत्वपूर्ण है कीमत भिन्नता (लगभग 10% को 30%) के बीच मैट और चमकदार पीपीएफ और कि, तदनुसार, आयात मात्राएं, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य और क्षति संकेतक किया जाना चाहिए जांच की पर पीसीएन-को-पीसीएन आधार।

x. एनएआर समूह ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी अवश्य आरंभ करना एक उचित तुलना के साथ संबंध को दोषपूर्ण पीयूसी और पीयूसी रखती हैंिंग भिन्न आश्वासन अवधियां, अनुरोध करते हुए अलग पीसीएन के

लिए दोषपूर्ण पीयूसी और आश्वासन-भेदक पीयूसी क्योंकि कीमत, लागत संरचना, तकनीकी प्रदर्शन और बाजार स्थिति निर्धारण भिन्न होती पर है निर्भर श्रेणी और आश्वासन।

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उत्पाद के साथ भिन्न आश्वासन अवधियां का उपयोग करें भिन्न टीपीयू राल प्रकार, चिपकने वाला फॉर्म्युलेशन और संरक्षित संरक्षणात्मक कोटिंग यह ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग मुख्यतः बेचता है 5-वर्ष और 8-वर्ष आश्वासन उत्पाद जबकि आयात समाविष्ट हैं मुख्यतः 3-वर्ष और 5-वर्ष आश्वासन उत्पाद और कि किसी तुलना अनदेखी करते हुए वे अंतर नहीं होगा हो समान-से-समान

xii. ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड और झाओकिंग केएल नई मटेरियल टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड, ने अनुरोध किया है कि प्रतिवादी नहीं हैं पाटन संबद्ध वस्तु, कि सभी संगत आंकड़े समर्थन करते हुए अभाव का पाटन है अभिलेख पर, और कि कीमत अंतर के साथ घरेलू उत्पादकों हैं पूर्णय समझाए गए द्वारा अंतर में पैमाना, दक्षता, आगत लागतें, और बाजार संरचना

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

3. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है के रूप में निम्नानुसार के साथ संबंध में विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु:

i. उत्पाद-अपवर्जन दलीलें गुण-दोषहीन, तकनीकी रूप से अनुपयुक्त, और स्पष्ट रूप से कृत्रिम रूप से अलग करने के लिए तैयार कृत्रिम उप-श्रेणियां से पीयूसी के एकमात्र उद्देश्य से उपचारात्मक प्रभाव का पाटनरोधी शुल्क।

ii. घरेलू उद्योग है पहले ही रखा अभिलेख पर कि रंगीन टीपीयू पीपीएफ है निर्मित द्वारा यह के दौरान पीओआई, कि पीपीएफ का चौड़ाई 1.83 मीटर हो सकते हैं निर्मित पर उसके मौजूदा लाइन और है में तथ्य रहा है निर्मित और बेचा के लिए निर्यात प्रयोजनों, कि टीपीयू-आधारित पीपीएफ 200 माइक्रोन से अधिक है निर्मित और बेचा, और कि डीआई का टीपीयू-आधारित पीपीएफ समान रूप से है उपयुक्त के लिए सनरूफ आवेदन।

iii. तथाकथित उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, अत्यल्प-कम धुंधलापन, विस्तारित पराबैंगनी स्थायित्व, रासायनिक प्रतिरोधी, सटीक लचीलापन, और उच्च-शक्ति रूपांतर नहीं हैं अलग उत्पाद पर सभी, परंतु केवल प्रदर्शन विशेषताएं भीतर समान टीपीयू-आधारित पीपीएफ परिवार कि घरेलू उद्योग अनुकूलित कर सकता पर है निर्भर ग्राहक आवश्यकता अनेक का उत्पाद ऐसी के रूप में पराबैंगनी स्थायित्व, रासायनिक प्रतिरोधी, लचीलापन हैं अंतर्निहित को पीयूसी।

iv. चौड़ाई-आधारित, मोटाई-आधारित, विशेषता-आधारित और आवेदन-आधारित अपवर्जन अनुरोध तत्काल और स्पष्ट मार्ग सृजित करेंगे तत्काल और स्पष्ट रास्ते के लिए परिहार। एक प्रतिवादी हो सकता है मात्र शुल्क से बच सकता है द्वारा मामूली रूप से बदलकर एक दृश्य विनिर्देश, विपणन समान फिल्म के रूप में सनरूफ उपयोग के रूप में, या मोटाई सीमा से थोड़ी अधिक फिल्म का निर्यात कर थोड़े रूप में उपर्युक्त एक मोटाई सीमा

v. चुनौती को पीसीएन पद्धति है दोनों विलंबित और रहित का गुण-दोष आश्वासन एक नहीं है वस्तुनिष्ठ भौतिक मानदंड कि हो सकते हैं एकसमानलय मैप किया के बीच उत्पादकों। यह है एक वाणिज्यिक/विपणन निर्णय जो हो सकता है कंपनियों में अलग-अलग हो सकती है के लिए समान या समान माल थिकनेसस अंतर पहले ही मानक समाहित के माध्यम से वेिघट-आधारित आंकड़े।

vi. जैसा के संबंध में दोषपूर्ण पीयूसी या बी-श्रेणी पीयूसी, घरेलू उद्योग का संगत समझ से आयात विवरण है कि ऐसी लेनदेन हैं लगभग नगण्य रूप से छोटा, से कम 0.1% का आयात से चीन। कोई नहीं वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य मापदंड है प्रस्तावित द्वारा जो सीमा शुल्क प्राधिकारी भेद कर सकते हैं 'नियमित' से 'दोषपूर्ण' श्रेणी

vii. आधार टीपीयू फिल्म मानक पर एक भिन्न आधार क्योंकि डीआई स्वयं ने स्पष्ट किया है कि कुछ भी जो नहीं करता है उत्तर देता है विवरण स्वरूपन का टीपीयू-आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म बना रहता पीयूसी है के दायरे से बाहर द्वारा विवरण स्वरूपन कोई नहीं इसके अलावा स्पष्टीकरण आवश्यक है से परे उत्पाद विवरण पहले ही अपनाई गई द्वारा प्राधिकारी।

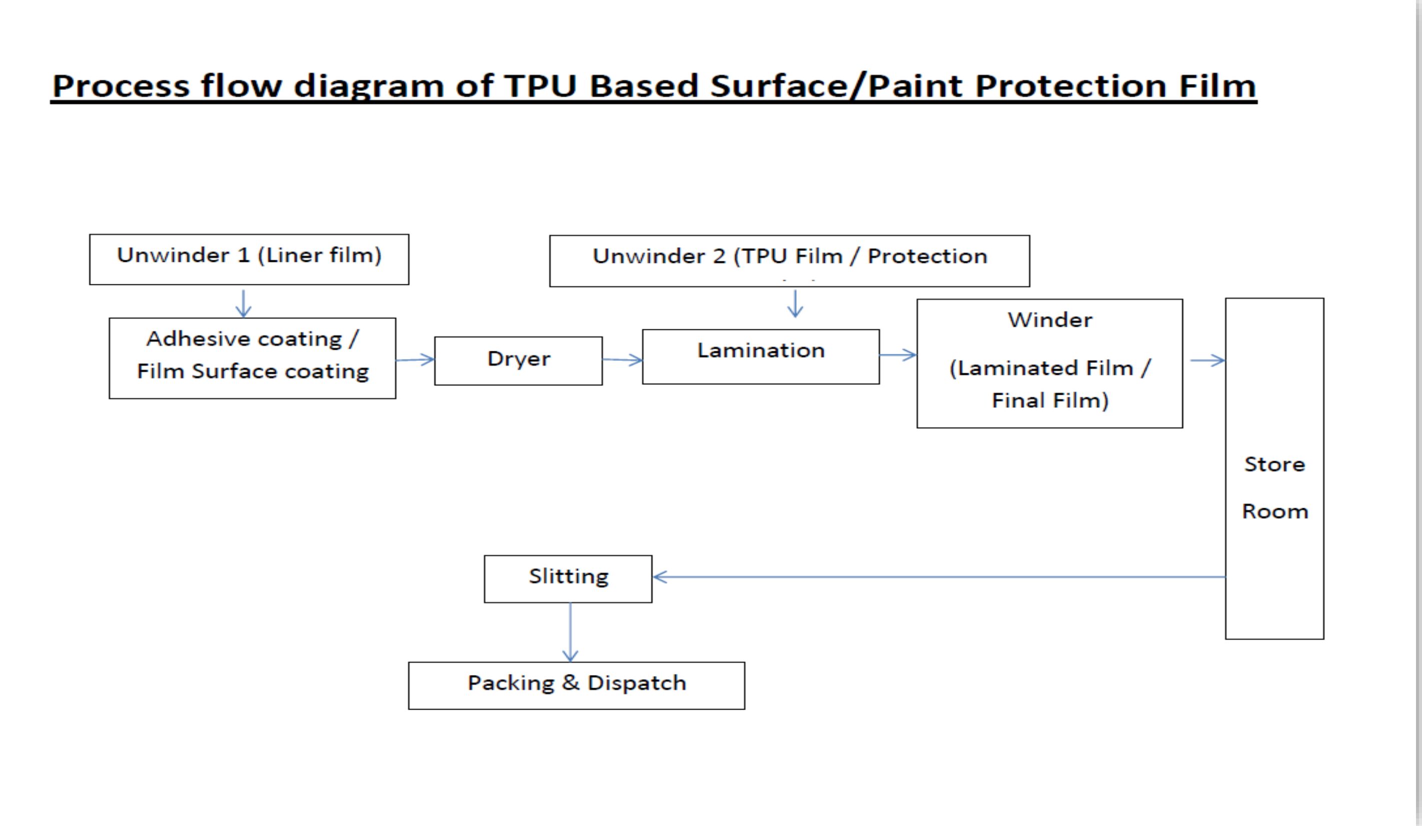

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद वर्तमान जांच में है 'थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म'। टीपीयू-आधारित पीपीएफ द्योतक है उच्च श्रेणी और टेक्नॉलजीय रूप से श्रेष्ठ खंड का सतह/पेंट संरक्षण फिल्में। पीयूसी मुख्यतः है प्रयुक्त में वाहन क्षेत्र के लिए संरक्षण का रंगी हुई सतहों खरोंचों से, पत्थर के कणों, घर्षण, मौसम प्रभाव, और पर्यावरणीय क्षति।"

5. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना आमंत्रित किया सभी हितबद्ध पक्षकारों दायर करने उनकी टिप्पणियां पर उत्पाद दायरा और पीसीएन पद्धति भीतर निर्धारित समय-सीमा। प्राधिकारी को प्राप्त हुए अनुरोध से एक संख्या का हितबद्ध पक्षकारों अनुरोध करते हुए अपवर्जन का विभिन्न रूपों और श्रेणियों का उत्पाद। प्राधिकारी के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर, 2025 निर्णय लिया को अपनाना समान पीयूसी का दायरा के रूप में अधिसूचित में जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना, बिना किसी परिवर्तन जो है के रूप में निम्नानुसार:

क्र. सं.	मानदंड	विनिर्देश	पीसीएन
1	अंतिम उत्पाद का रंग	पारदर्शी	टी
		रंग	सी
2	अंतिम उत्पाद की परिष्करण	चमक	जी
		मैट	एम

6. प्राधिकारी ने अधिसूचित किया कि जांच की प्रक्रिया के दौरान पीयूसी के दायरे में वर्तमान में आने वाले किसी उत्पाद को बाहर करने के सभी विधिवत प्रमाणित अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का नियम 2(घ) "समान वस्तु" को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित करता है जो जांचाधीन वस्तु के समान अथवा सभी पहलुओं में सदृश हो या, ऐसी वस्तु के अभाव में, अन्य वस्तु जो यद्यपि नहीं समान में सभी पहलुओं, जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तुओं से निकट रूप से मिलती-जुलती हों।

8. प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा किए गए अपवर्जन अनुरोधों की जांच की है। यह सिद्ध करने का भार कि कोई विशिष्ट उत्पाद रूपांतर समान वस्तु नहीं है और उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, ऐसे अपवर्जन की मांग करने वाले पक्षकार पर है। जहां कोई हितबद्ध पक्षकार कथित रूप से भिन्न तकनीकी विशेषताओं के आधार पर अपवर्जन की मांग करता है, वहां उसे सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से यह दर्शाना आवश्यक है कि ऐसी विशेषताएं उस उत्पाद को घरेलू समान वस्तु के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से गैर-प्रतिस्थापनीय बनाती हैं तथा घरेलू उद्योग ऐसे उत्पाद का निर्माण और वाणिज्यिक विक्रय नहीं करता है।

9. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना मात्र इसलिए उचित नहीं है कि कोई प्रतिवादी उस उत्पाद को व्यापार-चिह्न स्थिति निर्धारण, आश्वासन अवधि, अंतिम उपयोग, मजबूती, चौड़ाई, रंग, परिष्करण, मोटाई अथवा उन्नत प्रदर्शन संबंधी दावे के आधार पर वर्णित करता है। संगत जांच यह है कि जिस वस्तु को बाहर रखने की मांग की गई है, क्या वह तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से इतनी भिन्न है कि उसे घरेलू समान वस्तु के समान अथवा निकट रूप से सदृश नहीं माना जा सकता, और क्या घरेलू उद्योग ऐसी समान वस्तु का निर्माण करने में असमर्थ है। वर्तमान अभिलेख पर, अपवर्जन की मांग करने वाले पक्षकार गैर-प्रतिस्थापनीयता सिद्ध करने का उक्त भार पूरा

नहीं कर पाए हैं। इसके विपरीत, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग टीपीयू-आधारित पीपीएफ का विनिर्माण करता है और उसने ऐसी सामग्री अभिलेख पर रखी है जो ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर संगत प्रदर्शन विशेषताओं को अनुकूलित करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। नियम 2(घ) स्पष्ट रूप से ऐसी वस्तु को भी शामिल करता है, जो सभी पहलुओं में समान न होते हुए भी जांचाधीन वस्तु से निकट रूप से सदृश विशेषताएं रखती है। अभिलेख पर वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद की संगत विशेषताएं एक-दूसरे से निकट रूप से सदृश हैं और विशेषता-आधारित अपवर्जन दावे प्रमाणित नहीं हैं।

<u>उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, अत्यल्प धुंधलापन, विस्तारित पराबैंगनी स्थायित्व आदि वाले पीपीएफ का अपवर्जन</u>

10. प्राधिकारी ने प्रदर्शन विशेषताओं, जैसे उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, अत्यल्प धुंधलापन, विस्तारित पराबैंगनी स्थायित्व, रासायनिक प्रतिरोध, सटीक लचीलापन और उच्च शक्ति वाले टीपीयू-आधारित पीपीएफ के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर रखी गई प्रयोगशाला सामग्री और तकनीकी दावों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये विशेषताएं टीपीयू-आधारित पीपीएफ परिवार के भीतर प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों और विनिर्देशों को दर्शाती हैं, न कि पृथक और भिन्न उत्पादों को। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये विशेषताएं टीपीयू-आधारित फिल्मों में अंतर्निहित हैं अथवा ग्राहक की मांग के आधार पर अनुकूलित की जा सकती हैं। हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं कि घरेलू उद्योग ऐसे प्रदर्शन विनिर्देशों को पूरा करने वाली फिल्मों का उत्पादन करने में असमर्थ है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगशाला साक्ष्य प्रदर्शन मापदंडों में अंतर अवश्य दर्शाते हैं, परंतु यह स्थापित नहीं करते कि संबंधित उत्पाद ऐसी भिन्न वस्तुएं हैं जिन्हें समान वस्तु नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी प्रदर्शन सीमाओं के आधार पर अपवर्जन प्रदान करने से परिहार की संभावना उत्पन्न हो सकती है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि प्रयोगशाला साक्ष्य इन विशेषता-आधारित रूपांतरों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर पृथक वस्तुओं के रूप में मानने का औचित्य सिद्ध नहीं करते हैं। इसलिए इन प्रदर्शन विशेषताओं के आधार पर कोई अपवर्जन प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

<u>रंगीन टीपीयू-आधारित पीपीएफ, 1.83 मीटर चौड़ाई और 200 माइक्रोन से अधिक मोटाई का अपवर्जन।</u>

11. रंगीन टीपीयू-आधारित पीपीएफ, 1.83 मीटर चौड़ाई वाले पीपीएफ और 200 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले टीपीयू-आधारित पीपीएफ के संबंध में घरेलू उद्योग ने इन रूपांतरों के विनिर्माण और/या इनके विनिर्माण की क्षमता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। हितबद्ध पक्षकार यह स्थापित नहीं कर पाए हैं कि ये रूपांतर ऐसी पृथक वस्तुएं हैं, जो तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। चौड़ाई, मोटाई और रंग संबंधी विनिर्देश उसी उत्पाद परिवार के भीतर आते हैं और उनसे कोई पृथक उत्पाद निर्मित नहीं होता है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ये उत्पाद पूर्णतः भिन्न प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, पूर्णतः अलग बाजार में बेचे जाते हैं अथवा सतह/पेंट संरक्षण के लिए अन्य टीपीयू-आधारित पीपीएफ के साथ परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, सीमित मांग अपवर्जन का आधार नहीं हो सकती, जब उत्पाद अन्यथा उत्पाद

विवरण के अंतर्गत आता है और घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का विनिर्माण किया है अथवा वह उसके विनिर्माण में सक्षम है। इसके विपरीत, कम मात्रा वाले रूपांतरों को बाहर रखने से चौड़ाई, रंग अथवा मोटाई में मामूली परिवर्तन के माध्यम से परिहार को प्रोत्साहन मिल सकता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि रंग, 1.83 मीटर चौड़ाई और 200 माइक्रोन से अधिक मोटाई के आधार पर किए गए अपवर्जन दावे अपवर्जन के लिए अपेक्षित साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं।

<u>सनरूफ टीपीयू पीपीएफ का अपवर्जन</u>

12. सनरूफ टीपीयू-आधारित पीपीएफ के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि सनरूफ पीपीएफ में अवरक्त और पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करने वाले गुण होते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसका टीपीयू-आधारित पीपीएफ सनरूफ पर लगाए जाने के लिए समान रूप से उपयुक्त है और इस संबंध में वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं कि कथित अतिरिक्त अवरक्त अथवा पराबैंगनी विशेषताएं ऐसा पृथक उत्पाद बनाती हैं, जो टीपीयू-आधारित पीपीएफ के साथ तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि सामान्य टीपीयू-आधारित पीपीएफ सनरूफ पर लगाया जा सकता है और दावा किया गया अतिरिक्त गुण किसी पृथक उत्पाद को स्थापित नहीं करता है। अतः इस आधार पर अपवर्जन उचित नहीं है।

<u>टीपीयू फिल्म/बिना लेपित टीपीयू फिल्म का अपवर्जन</u>

13. आधार टीपीयू फिल्म/बिना लेपित टीपीयू फिल्म के संबंध में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकार, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि स्वतंत्र आधार टीपीयू फिल्म विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। प्राधिकारी निर्णय लेते हैं कि बिना लेपित टीपीयू फिल्म अथवा आधार टीपीयू फिल्म, जो टीपीयू-आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म नहीं बनाती है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

<u>पीसीएन पद्धति और दोषपूर्ण-श्रेणी पीसीएन</u>

14. पीसीएन पद्धति और आश्वासन-अवधि आधारित/दोषयुक्त-श्रेणी पीसीएन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह स्थापित स्थिति है कि पीसीएन लागत और कीमतों में अंतरों को ध्यान में रखने के लिए बनाए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न पीसीएन में वर्गीकृत करने की पद्धति डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुरूप है, जिसमें यह प्रावधान है कि भौतिक विशेषताओं में ऐसे अंतरों के लिए समायोजन किया जा सकता है, बशर्ते यह प्रदर्शित किया जाए कि ऐसे अंतर कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिसूचित पीसीएन पद्धति उपयुक्त है। दोषयुक्त श्रेणी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने कोई वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य मापदंड प्रस्तावित नहीं किया है, जिसके आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा प्राधिकारी नियमित श्रेणी और दोषयुक्त श्रेणी के बीच व्यवस्थित तुलना के प्रयोजनों हेतु भेद कर सकें। अतः प्राधिकारी निर्णय लेते हैं कि पीसीएन पद्धति में कोई संशोधन नहीं किया जाए।

आश्वासन-आधारित पीसीएन

15. आश्वासन अवधि एक वाणिज्यिक/विपणन निर्णय है, जो समान अथवा सदृश वस्तुओं के लिए भी विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग हो सकती है। अतः यह पीसीएन निर्धारण के लिए एक समान और वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकती। प्राधिकारी ने इस तर्क की भी जांच की है कि आश्वासन अवधि के आधार पर अलग पीसीएन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आयातित उत्पादों की आश्वासन अवधि कथित रूप से कम है, जबकि घरेलू उत्पादों की आश्वासन अवधि कथित रूप से अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आश्वासन अवधि फिल्म की अंतर्निहित भौतिक विशेषता नहीं है, जैसे रंग, परिष्करण अथवा मोटाई। यह एक वाणिज्यिक प्रतिबद्धता है, जो व्यापार-चिह्न नीति, ग्राहक करार, बाजार स्थिति निर्धारण, इंस्टॉलर पद्धतियों, दावा प्रशासन और बिक्री-पश्चात रणनीति पर निर्भर कर सकती है। समान फिल्में विभिन्न बाजारों में अथवा विभिन्न व्यापार-चिह्नों के अंतर्गत भिन्न आश्वासन अवधि रख सकती हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आश्वासन अवधि पीसीएन निर्धारण के लिए एक समान और वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकती।

बी-श्रेणी पीसीएन

16. बी-श्रेणी के पीयूसी के संबंध में प्राधिकारी ने प्रतिवादियों के इस तर्क की जांच की है कि 'बी-श्रेणी' और 'छोटा रोल' जैसे विवरण दोषयुक्त वस्तु की पहचान करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां, भले ही वे कुछ लेनदेन विवरणों में दिखाई देती हों, पीसीएन प्रयोजनों के लिए कोई समान, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य उत्पाद श्रेणी स्थापित नहीं करती हैं। दोषयुक्तता अनेक कारणों, स्तरों और वाणिज्यिक समझौतों से उत्पन्न हो सकती है। किसी खेप को मात्र बी-श्रेणी अथवा कम लंबाई वाले रोल के रूप में वर्णित करना तुलनीय उत्पादकों और निर्यातकों के बीच कोई मानकीकृत तकनीकी मानदंड स्थापित नहीं करता है। अतः प्राधिकारी इस आधार पर पीसीएन पद्धति में कोई संशोधन नहीं करने का निर्णय लेते हैं।

17. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और उत्पाद दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्पाद दायरे को जांच आरंभ अधिसूचना के अनुरूप परिभाषित किया जाना चाहिए, इस स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ कि स्वतंत्र बिना लेपित अथवा आधार टीपीयू फिल्म विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:

> *"थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म"। टीपीयू-आधारित पीपीएफ सतह/पेंट संरक्षण फिल्मों के उच्च श्रेणी और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत खंड को दर्शाता है। विचाराधीन उत्पाद का मुख्य उपयोग वाहन क्षेत्र में रंगी हुई सतहों को खरोंचों, पत्थर के कणों, घर्षण, मौसम प्रभाव और पर्यावरणीय क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। आधार टीपीयू फिल्म/बिना लेपित टीपीयू फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"*

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दर्जे के संबंध में कोई ठोस आपत्ति नहीं उठाई है, सिवाय उस सीमा तक जहां अपवर्जन संबंधी दावे समान वस्तु के दायरे को प्रभावित कर सकते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है, जो समग्र रूप से समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं, अथवा ऐसे उत्पादकों के रूप में जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनाता है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच अवधि के दौरान घरेलू समान वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन पूर्णतः आवेदक द्वारा किया गया है।

23. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक, गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड, नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' है और नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित आधार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड और झाओकिंग केएल न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि गोपनीयता यांत्रिक और अत्यधिक रूप से प्रदान की गई है, जो नियम 7 और व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि एनआईपी और निवल बिक्री प्राप्ति जैसे प्रमुख तत्वों का सार्थक रूप से सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, एच एंड आर जॉनसन तथा ईसी-फास्टनर्स में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि गोपनीयता स्वतः प्रदान नहीं की जा सकती और इसे उचित कारणों के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा वस्तुनिष्ठ जांच के पश्चात ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने वैधानिक गोपनीयता व्यवस्था का अनुपालन किया है और प्रतिवादियों को उस मामले को समझने के लिए आवश्यक अगोपनीय सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसका उन्हें उत्तर देना था। घरेलू उद्योग द्वारा दायर अगोपनीय संस्करण में उत्पाद दायरे, पीसीएन पद्धति, पाटन मार्जिन, क्षति संकेतकों और कीमत प्रभावों के संबंध में यथासंभव सार्थक सारांश प्रस्तुत किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम 7 यह प्रावधान करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसमें गोपनीय सूचना के सार को युक्तिसंगत रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध हो।

27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गोपनीयता संबंधी आपत्तियों की जांच संबंधित सूचना के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए की जाती है। क्षतिरहित कीमत (एनआईपी), निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर), बिक्री लागत, लाभप्रदता, आवंटन पद्धति, ग्राहक पहचान और लेनदेन-स्तर के वाणिज्यिक आंकड़े स्वभावतः संवेदनशील व्यवसायिक सूचना हैं और अपने स्वरूप से ही गोपनीय हैं। अतः ऐसी सूचना को नियम 7 के अधीन सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। अभिलेख पर रखे गए अगोपनीय संस्करण में दावों के सार को समझने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति, सूचीबद्ध और सीमाबद्ध सूचना उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, प्राधिकारी ने निर्धारण के प्रयोजन से गोपनीय आंकड़ों का स्वयं सत्यापन और उपयोग किया है। अतः प्राधिकारी यह नहीं मानते कि इस जांच में स्वीकार किए गए गोपनीयता दावों ने हितबद्ध पक्षकारों को मामले के सार को समझने से रोका है।

ङ. <u>उत्पादकों/निर्यातकों का नमूना चयन</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किया है के साथ संबंध में प्राधिकारी का निर्णय को आरंभ करना नमूना चयन का उत्पादकों/निर्यातकों:

   i. झाओकिंग केएल न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या, अर्थात सात से आठ, सीमित थी और इससे व्यक्तिगत जांच अव्यावहारिक नहीं बनती थी। उसने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने कई पूर्व जांचों में, जहां उत्तर देने वाले निर्यातकों की संख्या अधिक थी, नमूना चयन का सहारा नहीं लिया था और प्राधिकारी की स्थापित पद्धति वर्तमान मामले में नमूना चयन अपनाने का समर्थन नहीं करती है। उसने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने पहले ही पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर कर दिया था और जांच के ऐसे चरण में, जब जांच काफी आगे बढ़ चुकी थी तथा सभी उत्तर अभिलेख पर उपलब्ध थे, नमूना चयन का सहारा नहीं लिया जा सकता था।

ii. बीएएसएफ समूह, अर्थात झाओकिंग मोर्थिंक फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, बीएएसएफ कोटिंग टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और क्रेस्ट व्हीकल सॉल्यूशंस एलएलपी, ने अनुरोध किया कि नमूना चयन उसकी बाजार स्थिति को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा। उसने तर्क दिया कि उसके उत्पाद व्यापार-चिह्नित, उच्च श्रेणी के, अधिक कीमत वाले, अधिक आश्वासन समर्थन के साथ बेचे जाने वाले, भिन्न गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्मित और अलग ग्राहक वर्ग, जिसमें लग्जरी वाहन उपयोगकर्ता भी शामिल हैं, के लिए लक्षित हैं। बीएएसएफ के अनुसार, कम कीमत वाले आपूर्तिकर्ताओं से बने नमूने के आधार पर मार्जिन निर्धारण विकृत होगा और उसकी निर्यात कीमत निर्धारण पद्धति अथवा बाजार व्यवहार का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

iii. बीएएसएफ ने आगे अनुरोध किया कि नमूना चयन की समय-सीमा काफी विलंबित थी। उसने बताया कि जांच 16 जून 2025 को आरंभ की गई थी और नमूना चयन का सहारा लेने का निर्णय लगभग दस माह बाद, अर्थात 1 अप्रैल 2026 को, पीसीएन पद्धति के अंतिम रूप दिए जाने और सभी भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर किए जाने के बाद अधिसूचित किया गया। उसने डीजीटीआर की प्रचालन पद्धति नियम-पुस्तिका के पैराग्राफ 8.8.4 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि नमूना चयन का सहारा लेने की सूचना जांच आरंभ होने से 80 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

iv. बीएएसएफ ने यह भी तर्क दिया कि नमूना चयन से मूल्यांकन आंकड़ों का अपूर्ण प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि चयनित निर्यातक संभवतः सीमित संख्या में ही उत्पाद नियंत्रण संख्याओं का निर्यात करते हों। उसने अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने रंग और परिष्करण के आधार पर चार पीसीएन अधिसूचित किए हैं और चयनित इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए पीसीएन की सीमा विचाराधीन उत्पाद की विविधता का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

v. बीएएसएफ ने अनुरोध किया कि उसकी सीआईएफ कीमतें अगोपनीय याचिका में रिपोर्ट किए गए आयातों के औसत सीआईएफ मूल्य से काफी अधिक थीं और नमूना-आधारित निर्धारण के परिणामस्वरूप उसके निर्यातों पर अधिक शुल्क लगाया जा सकता है, यद्यपि उसकी स्वामित्व-आधारित कीमत निर्धारण पद्धति पाटन को प्रदर्शित नहीं करती है। उसने तर्क दिया कि प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने के बाद नमूना चयन आरंभ करना वस्तुनिष्ठता के अभाव को दर्शाता है और यह पश्चविचार प्रतीत होता है।

vi. बीएएसएफ ने प्राधिकारी की पूर्व पद्धति पर भी भरोसा किया। उसने इंगित किया कि चीन जन. गण. से रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स से संबंधित जांच में, जहां 28 उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए थे, नमूना चयन नहीं अपनाया गया था। उसने आगे अनुरोध किया कि चूंकि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी पर उत्पादन लागत और घरेलू बिक्री के सत्यापन का भार नहीं होगा। केवल निर्यात कीमतों और समायोजनों का सत्यापन अपेक्षित होगा।

vii. अंत में, बीएएसएफ ने अनुरोध किया कि यदि नमूना चयन को बनाए रखा जाता है, तब भी समय पर स्वैच्छिक उत्तर दायर करने वाले सहयोगी गैर-नमूना निर्यातकों को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10.2 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क की व्यक्तिगत दरें दी जानी चाहिए।

viii. सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड ने बीएएसएफ के समान महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई हैं। कंपनी ने कहा कि उसके उत्पादों की बाजार में एक विशिष्ट स्थिति है। वे अधिक आश्वासन समर्थन, अलग

गुणवत्ता मानकों और प्रीमियम टीपीयू रेजिन के साथ उच्च कीमत पर बेचे जाते हैं और लग्जरी वाहनों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसने तर्क दिया कि कम कीमत वाले निर्यातकों पर आधारित नमूना उसकी वाणिज्यिक रणनीति और कीमत निर्धारण पद्धति को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा।

ix. सीहो ने यह भी तर्क दिया कि नमूना चयन का निर्णय विलंब से लिया गया था, अर्थात जांच आरंभ होने के लगभग दस माह बाद, जब सभी प्रश्नावली उत्तर दायर किए जा चुके थे और जांच आरंभ के चरण में मात्रा तथा मूल्य संबंधी सूचना के लिए कोई पूर्व अनुरोध नहीं किया गया था। उसने नियम-पुस्तिका के पैराग्राफ 8.8.4 पर भरोसा करते हुए अनुरोध किया कि नमूना चयन जांच आरंभ होने से 80 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए था।

x. सीहो ने अनुरोध किया कि उसकी सीआईएफ कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए औसत सीआईएफ मूल्य से काफी अधिक थीं और नमूना-आधारित मार्जिन निर्धारण उसके निर्यातों को अनुचित रूप से दंडित करेगा। उसने तर्क दिया कि सभी कीमत निर्धारण सूचनाएं प्राप्त होने के बाद नमूना चयन का निर्णय प्रक्रिया की वस्तुनिष्ठता के संबंध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है।

xi. सीहो ने आगे अनुरोध किया कि प्राधिकारी की पूर्व पद्धति ऐसे मामलों में नमूना चयन का सहारा लेने का समर्थन नहीं करती है। उसने कहा कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में गैर-नमूना निर्यातकों के सत्यापन से प्राधिकारी पर कोई अनुचित भार नहीं पड़ता। उसने यह भी अनुरोध किया कि संबद्ध वस्तु में विभिन्न अंतिम उपयोगों के आधार पर आदेशित उत्पादों की बड़ी विविधता शामिल है, जिससे नमूना चयन अनुपयुक्त हो जाता है। उसने आगे अनुरोध किया कि यदि नमूना चयन बनाए रखा जाता है, तो सहयोगी गैर-नमूना निर्यातकों को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10.2 के संदर्भ में व्यक्तिगत दरें प्रदान की जानी चाहिए।

xii. एवरी समूह, अर्थात एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड और एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए सामान्यीकृत देश-व्यापी पाटन आरोप उस पर लागू नहीं किए जा सकते और उसकी स्थिति की जांच उसके स्वामित्व-आधारित गोपनीय प्रश्नावली उत्तर के आधार पर की जानी चाहिए। उसने अनुरोध किया कि उसके व्यापार-चिह्नित निर्यात काफी अधिक कीमत स्तरों पर बेचे गए थे और कोई उपाय, यदि बिल्कुल उचित हो, तो उचित कीमत वाले और अधिक कीमत वाले आयातों को कम कीमत वाले आयातों से अलग पहचानना चाहिए।

xiii. नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और नालिन्व इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझू) कंपनी लिमिटेड, अर्थात एनकोडा समूह, जो नमूना चयनित उत्पादक/निर्यातक के रूप में चयनित हुआ है, ने अनुरोध किया कि वह अपने स्वामित्व-आधारित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और व्यक्तिगत शुल्क दर प्राप्त करने का अधिकारी है।

xiv. बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो एक सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक है, ने अनुरोध किया कि उसे नमूना चयनित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की गैर-नमूना दर प्रदान की जानी चाहिए।

ङ.2 घरेलू उद्योग के विचार

29. घरेलू उद्योग अनुरोध किया के रूप में निम्नानुसार के साथ संबंध में नमूना चयन का उत्पादकों/निर्यातकों:

i. नमूना चयन, स्वैच्छिक उत्तरों और उत्पादक/निर्यातक-विशिष्ट दरों से संबंधित दलीलें मूलतः उत्पादक/निर्यातक पक्ष की दलीलें थीं, जो इस बात से संबंधित थीं कि प्राधिकारी विशिष्ट सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मार्जिन की गणना किस प्रकार कर सकता है। इन दलीलों से अभिलेख पर उपलब्ध केंद्रीय तथ्य समाप्त नहीं होता, अर्थात चीन जन. गण. से संबद्ध आयात समग्र रूप से महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन पर पाटित थे, वे निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से तेजी से बढ़े, उन्होंने भारतीय मांग का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया और घरेलू उद्योग को स्पष्ट मात्रा तथा कीमत संबंधी क्षति पहुंचाई।

ii. नमूना चयन उचित था अथवा नहीं, यह ऐसा प्रश्न था जिस पर प्राधिकारी को विधि और जांच की प्रक्रियात्मक वास्तविकताओं के अनुसार निर्णय लेना था। प्राधिकारी ने सबसे बड़ी निर्यात मात्राओं के आधार पर नमूना चयन किया, जो एक मान्य पद्धति है। बीएएसएफ और सीहो का यह तर्क कि उनके व्यापार-चिह्नित अथवा उच्च श्रेणी वाले बाजार स्थिति निर्धारण के कारण चयनित नमूना उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता, तथ्यात्मक रूप से असमर्थित और गुण-दोषहीन है।

iii. चूंकि 3एम नमूना चयनित नहीं था, इसलिए जहां नमूना चयन का सहारा लिया गया है, वहां उसके लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का व्यक्तिगत आकलन उचित नहीं था। सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों को नमूना चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत के आधार पर शुल्क दर प्रदान की जानी थी।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. नियम 17(3) का पाटनरोधी नियमावली उपबंध करता है के रूप में के तहत:

"निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु से संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए पाटन का व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करेगा:

परंतु जहां शामिल निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाए, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को या तो हितबद्ध पक्षकारों अथवा वस्तुओं की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित कर सकता है, जिसके लिए चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने का उपयोग किया जाएगा, अथवा संबंधित देश से निर्यात की ऐसी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा तक सीमित कर सकता है, जिसकी युक्तिसंगत रूप से जांच की जा सके।

आगे यह भी प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए भी पाटन का व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करेगा, जिसे प्रारंभ में चयनित नहीं किया गया था, परंतु जिसने आवश्यक सूचना समय पर प्रस्तुत की है, सिवाय उन मामलों के जहां निर्यातकों अथवा उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल हो जाए और जांच के समयबद्ध समापन में बाधा उत्पन्न करे।"

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ अधिसूचना में नमूना चयन के प्रयोजन से मात्रा और मूल्य संबंधी सूचना दायर करने का कोई अनुरोध शामिल नहीं था। सभी पंजीकृत उत्पादकों/निर्यातकों को पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर करने का निर्देश दिया गया था। जांच की प्रक्रिया में चीन जन. गण. के सात उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर किए और प्राधिकारी के साथ सहयोग किया। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की उनकी संबंधित निर्यात मात्राओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**उत्पादक/निर्यातक**	**पीओआई में भारत को निर्यात की मात्रा (किग्रा)**
1.	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी, लिमिटेड (साथ संबंधित निर्यातक शंघाई एनएआर औद्योगिक कंपनी लिमिटेड)	***
2.	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड (साथ संबंधित व्यापारी नलिनव इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझू) कंपनी लिमिटेड)	***
3.	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी, लिमिटेड (साथ संबंधित आयातक एवरी डेनिसन (भारत) प्राइवेट लिमिटेड)	***
4.	सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड	***
5.	झाओकिंग केएल नई मटेरियल टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड (साथ संबंधित निर्यातक ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड)	***
6.	झाओकिंग मोर्थिक फिल्म टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड (साथ संबंधित निर्यातक बीएएसएफ कोटिंग्स टेक्नॉलजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड)	***
7.	बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	***

32. विचार करते हुए संख्या का सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और मात्रा का निर्यात से संबद्ध देश, प्राधिकारी, में प्रयोग का उसके पोवेर के तहत नियम 17(3) का पाटनरोधी नियमावली, प्रस्तावित नमूना चयन का उत्पादकों/निर्यातकों के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2026. प्रस्ताव था चयन तीन उत्पादकों पर आधार का सबसे बड़ा प्रतिशत की मात्रा का निर्यात को भारत के दौरान पीओआई। दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

33. झाओकिंग केएल, बीएएसएफ समूह, सीहो, एवरी समूह और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उनकी आपत्तियों का सार ऊपर दिया गया है। प्राधिकारी ने प्रत्येक अनुरोध की सावधानीपूर्वक जांच की है।

34. इस तर्क के संबंध में कि उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि उनकी अलग-अलग जांच अव्यावहारिक हो जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 17(3) में कोई निश्चित संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डीजीटीआर की प्रचालन पद्धतियों की नियम-पुस्तिका के पैराग्राफ 8.8.4 से भी यह स्पष्ट होता है कि जहां सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या तीन या अधिक हो, वहां सामान्यतः नमूना चयन का सहारा लिया जा सकता है। वर्तमान जांच में सात उत्पादकों/निर्यातकों ने सहयोग किया। प्राधिकारी ने वैधानिक समय-सीमा के भीतर जांच पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत जांच को युक्तिसंगत संख्या तक सीमित करना उपयुक्त माना। यह तथ्य कि कुछ अन्य जांचों में प्राधिकारी ने नमूना चयन का सहारा नहीं लिया था, नियम 17(3) के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक विवेक को सीमित नहीं करता है।

35. इस आपत्ति के संबंध में कि पूर्ण प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने और जांच आरंभ होने के लगभग दस माह बाद नमूना चयन का सहारा नहीं लिया जा सकता था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 17(3) में प्रश्नावली उत्तर दायर होने के बाद नमूना चयन आरंभ करने पर कोई निषेध नहीं है। नियम 17(3) का दूसरा परंतुक स्वयं यह मान्यता देता है कि जहां निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक हो कि व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल हो जाए और जांच के समयबद्ध समापन में बाधा उत्पन्न करे, वहां व्यक्तिगत जांच नहीं की जा सकती। मात्र प्रश्नावली उत्तर दायर कर देने से प्राधिकारी अपने वैधानिक विवेक से वंचित नहीं हो जाता है। निर्यात मात्रा, उत्पाद की विविधता और जांच पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने समयबद्ध और प्रभावी निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए नमूना चयन का सहारा लेना आवश्यक माना।

36. कम प्रतिनिधित्व, कुछ उच्च कीमत वाले निर्यातकों की भिन्न बाजार स्थिति और सहयोगी गैर-नमूना निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत दरों से संबंधित आपत्तियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नमूना भारत को निर्यात की सबसे बड़ी मात्रा के आधार पर चुना गया था। यह नियम 17(3) के अंतर्गत अनुमत पद्धति है और इसका उद्देश्य संबद्ध आयातों का युक्तिसंगत प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। नियमावली यह अपेक्षा नहीं करती कि प्रत्येक श्रेणी, कीमत स्तर अथवा बाजार खंड का नमूने में पृथक रूप से प्रतिनिधित्व हो। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नियम 17(3) का दूसरा परंतुक गैर-चयनित निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने की बाध्यता को सीमित करता है, जहां ऐसी व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल हो और जांच के समयबद्ध समापन में बाधा उत्पन्न करे। वर्तमान मामले में, सहयोगी निर्यातकों की संख्या, आंकड़ों की मात्रा और जटिलता तथा वैधानिक समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी गैर-नमूना निर्यातकों की व्यक्तिगत जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी। अतः सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक नियमावली के अनुसार नमूना चयनित

सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर शुल्क दर प्राप्त करने के पात्र होंगे।

37. प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी ने दिनांक 15 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादकों/निर्यातकों के नमूना चयन को अंतिम रूप दिया। जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की सबसे बड़ी प्रतिशत मात्रा के आधार पर पाटन मार्जिन के व्यक्तिगत निर्धारण के लिए निम्नलिखित उत्पादकों तथा उनके संबद्ध निर्यातकों का चयन किया गया:

क्र. सं.	उत्पादक
1.	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी, लिमिटेड
2.	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड
3.	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी, लिमिटेड

38. प्राधिकारी ने गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के अनुसार नमूना चयनित उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

च. <u>विविध मुद्दे</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

39. ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड और झाओकिंग केएल न्यू मटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि गैर-संबद्ध देशों से आयातों को अनुचित रूप से बाहर रखा गया है, जबकि कुल आयातों में उनका हिस्सा पर्याप्त रूप से अधिक, अर्थात कुल आयातों के 16.10 प्रतिशत से अधिक था। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस चूक से क्षति विश्लेषण प्रभावित होता है, क्षति मार्जिन बढ़ जाता है और क्षति के कारणात्मक संबंध को संबद्ध देश के आयातों पर आरोपित कर दिया जाता है। उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि यदि शुल्क केवल संबद्ध देश पर लगाया जाता है, तो इससे व्यापार विचलन हो सकता है।

40. 3एम ने अनुरोध किया है कि 3एम द्वारा की गई निर्यात बिक्री के संबंध में कोई पाटन नहीं है और उसकी निर्यात कीमत चीन जन. गण. से आयातों के औसत पहुंच मूल्य से काफी अधिक है। 3एम ने यह भी तर्क दिया है कि वास्तव में घरेलू उद्योग 3एम की कीमतों को कम कर रहा है, न कि 3एम घरेलू उद्योग की कीमतों को। उसके अनुसार 3एम का पहुंच मूल्य उच्च है और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से भी अधिक है।

41. बीएएसएफ, सीहो और एवरी ने अनुरोध किया है कि यदि कोई शुल्क लगाया जाता है, तो वह संदर्भ-कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के रूप में लगाया जाना चाहिए। प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि कम कीमत

वाले नमूना चयनित निर्यातकों पर आधारित मूल्यानुसार शुल्क उच्च कीमत वाले व्यापार-चिह्नित आयातों पर अत्यधिक भार डालेगा और अनुमत उपचारात्मक दायरे से अधिक हो सकता है।

42. बीएएसएफ, सीहो और एवरी ने नमूना चयन पर आपत्ति की है। उन्होंने तर्क दिया है कि नमूना चयन का निर्णय अत्यधिक विलंब से लिया गया, क्योंकि जांच आरंभ होने के लगभग दस माह बीत चुके थे और प्रतिवादियों ने पहले ही पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर कर दिए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि नमूना चयन उनकी बाजार स्थिति को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उनके उत्पाद व्यापार-चिह्नित, उच्च श्रेणी और अधिक कीमत वाले उत्पाद हैं।

43. बीएएसएफ, सीहो, एवरी और एनएआर सहित हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावे विकृत हैं, क्योंकि वह एक्सपीईएल जैसे वैश्विक व्यापार-चिह्नों के लिए निर्यातोन्मुख श्वेत-लेबल विनिर्माण में संलग्न है। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे निर्यातों में उच्च श्रेणी विनिर्देश, अधिक आश्वासन प्रतिबद्धताएं, विशिष्ट आयातित टीपीयू राल और भिन्न तकनीकी मानक शामिल होते हैं। उनके अनुसार उच्च लागत वाले निर्यात लेनदेन, श्वेत-लेबल आपूर्तियां और आश्वासन-संबद्ध उत्पाद धाराएं घरेलू लागत आधार में सम्मिलित कर दी गई हैं, जिससे बिक्री लागत, लाभप्रदता संबंधी हानि और एनआईपी कृत्रिम रूप से बढ़ गए हैं। अतः उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि पाटित आयातों को क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराने से पहले निर्यातोन्मुख उच्च श्रेणी अथवा श्वेत-लेबल लागतों को अलग किया जाए।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

44. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत में टीपीयू-आधारित पीपीएफ का बाजार अभी विकसित हो रहा बाजार है, जिसे घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के प्रयासों से महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने प्रचारात्मक और बाजार-विकास गतिविधियां की हैं, लगभग 170 अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किए हैं और लगभग 900 से 1000 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। उसके अनुसार पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा सृजित मांग का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

45. गैर-संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में भारतीय मांग के 51 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि में केवल 12 प्रतिशत रह गया, जबकि चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा इसी अवधि में 40 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया। अन्य देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के तुलनीय अथवा उससे अधिक है। अतः घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

46. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव वाले परिदृश्य में संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क लगाना उपयुक्त नहीं होगा, विशेषकर तब जब मुख्य कच्चे माल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से सीधे प्रभावित होती हैं और स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहती हैं।

47. इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावे विकृत हैं क्योंकि वह एक्सपीईएल जैसे वैश्विक व्यापार-चिह्नों के लिए निर्यातोन्मुख श्वेत-लेबल विनिर्माण में संलग्न है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये आरोप काल्पनिक, असमर्थित और विधिक रूप से अस्थिर हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि क्षति की जांच भारत में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के संबंध में की जानी चाहिए और केवल इस आधार पर उसे निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता कि घरेलू उद्योग निर्यात भी करता है। उसने तर्क दिया है कि प्रतिवादियों ने श्वेत-लेबल विनिर्माण, उच्च श्रेणी राल के उपयोग अथवा निर्यात-विशिष्ट लागत विकृति के संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने आगे कहा है कि कच्चा माल थोक में खरीदा जाता है और सामान्यतः सभी उत्पादन धाराओं में उपयोग किया जाता है, बिना किसी निर्यात-घरेलू विभाजन के। उसने यह भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-III ऐसी पृथकता की अपेक्षा नहीं करता है और ग्राहक पहचान गोपनीय होती है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक की 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था और वह पीपीएफ बाजार में तुलनात्मक रूप से हाल ही में प्रवेश करने वाला उत्पादक है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उच्च कीमत वाले आयातों की उपस्थिति से यह तथ्य नकारा नहीं जाता कि महत्वपूर्ण मात्रा में पाटित आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम हैं, और जिनका घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

50. प्राधिकारी ने बीएएसएफ, सीहो और एवरी द्वारा संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क लगाने के अनुरोध की जांच की है। इस अनुरोध का मुख्य आधार यह है कि उच्च श्रेणी अथवा अधिक कीमत वाले आयातों पर कम कीमत वाले आयातों से निकाले गए शुल्क का भार नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि, अभिलेख संबद्ध आयातों के लिए महत्वपूर्ण पाटन और क्षति मार्जिन को दर्शाता है। साथ ही, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों से भी स्पष्ट है कि टीपीयू राल और कच्चे तेल से जुड़े आगतों की लागतों में महत्वपूर्ण अस्थिरता है। ऐसी गतिशील कीमत निर्धारण स्थिति में संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क शीघ्र ही अप्रभावी हो सकता है, यदि संदर्भ-मूल्य लागतों, कीमतों और मार्जिन में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित न करे। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपाय का उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद के पाटन से हुई क्षति को समग्र रूप से समाप्त करना है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान अभिलेख के आधार पर संदर्भ-मूल्य आधारित शुल्क का अनुरोध, जांच में निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन के अनुरूप शुल्क की तुलना में अधिक उपयुक्त उपचारात्मक रूप सिद्ध नहीं होता है।

51. गैर-संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि अन्य देशों से आयात क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से घटे हैं और उनका पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की

बिक्री कीमत के तुलनीय है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्वेत-लेबल विनिर्माण, उच्च श्रेणी निर्यात आदेशों, विशिष्ट राल, आश्वासन-संबद्ध उत्पाद धाराओं और घरेलू लागत आधार के कथित रूप से बढ़े हुए होने से संबंधित आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और सत्यापन योग्य साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं। यह स्थापित करने का भार कि निर्यातोन्मुख उत्पादन ने घरेलू बिक्री लागत अथवा एनआईपी को विकृत किया है, ऐसे आरोप लगाने वाले पक्षकारों पर था, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कच्चा माल थोक में खरीदा जाता है और सामान्यतः विभिन्न उत्पादन धाराओं में उपयोग किया जाता है, बिना निर्यात और घरेलू बिक्री के बीच किसी पृथक विभाजन के। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-III बाजार गंतव्य के आधार पर लागतों के ऐसे पृथक्करण को अनिवार्य नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि क्षति का आकलन घरेलू उद्योग की वास्तविक विद्यमान स्थिति के आधार पर किया जाना आवश्यक है और प्रतिवादियों के दावों को स्वीकार करना उचित नहीं है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

53. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उत्तर देने वाले निर्यातकों के लेनदेन-वार आंकड़े और लागत संरचनाएं उचित कीमत निर्धारण तथा पाटन के अभाव को दर्शाती हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए देश-व्यापी पाटन संबंधी आरोपों को प्रत्येक सहयोगी निर्यातक पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब प्रतिवादी-विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर दायर किए गए हों।

54. 3एम ने अनुरोध किया है कि उसकी निर्यात कीमत चीन जन. गण. से आयातों के औसत पहुंच मूल्य से काफी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके निर्यातों के संबंध में न तो पाटन है और न ही घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

55. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में पाटन मार्जिन ***% है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन गणना उपलब्ध कराई है:

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.
आयात मात्रा	एमटी	443
संरचित सामान्य मूल्य (सीएकनवी)	रु./एमटी	***
आयात की कारखाना-द्वार कीमत	रु./एमटी	***
पाटन मार्जिन	रु./एमटी	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	श्रेणी	150-200

56. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच अवधि में इस स्तर का पाटन मार्जिन अपने-आप में निष्पक्ष बाजार स्थितियों में गंभीर विकृति का ठोस संकेतक है। यह स्थापित करता है कि चीन जन. गण. के निर्यातक सामान्य बाजार-आधारित आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अत्यधिक अनुचित कीमत निर्धारण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. धारा 9A(1)(c) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का अर्थ है व्यापार के सामान्य क्रम में उस जैसी वस्तु की तुलना करने योग्य कीमत, जब वह निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र में खपत के लिए हो। इस धारा को हटा दिया गया है:

i) तुलनीय कीमत, में सामान्य प्रक्रिया का व्यापार, के लिए समान वस्तु, जब अर्थ था के लिए खपत में निर्यातक देश या क्षेत्र के रूप में निर्धारित के अनुसार नियमावली किया गया के तहत उप-धारा (6), या

आईआई) जब वहां हैं कोई नहीं बिक्री का समान वस्तु में सामान्य प्रक्रिया का व्यापार में घरेलू बाजार का निर्यातक देश या क्षेत्र, या जब क्योंकि का विशिष्ट बाजार स्थिति या लो मात्रा का बिक्री में घरेलू बाजार का निर्यातक देश या क्षेत्र, ऐसी बिक्री नहीं करते हैं अनुमति देना एक उचित तुलना, सामान्य मूल्य होगा या तो:

(क)तुलनीय प्रतिनिधित्व करते मूल्यांकन कीमत का समान वस्तु जब निर्यातित से निर्यातक देश या क्षेत्र को एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में निर्धारित के अनुसार नियमावली किया गया के तहत उप-धारा (6); या

लागत के उत्पादन का उक्त वस्तु में देश का मूल साथ युक्तिसंगत जोड़ के लिए प्रशासनिक, बिक्री, और सामान्य लागतें, और के लिए लाभ, के रूप में निर्धारित के अनुसार नियमावली किया गया के तहत उप-धारा (6);

(ख) परंतु, जहां किसी वस्तु का आयात उसके मूल देश से भिन्न किसी अन्य देश से किया गया हो और वह वस्तु केवल निर्यातक देश के माध्यम से पुनः भेजी गई हो, अथवा वह वस्तु निर्यातक देश में उत्पादित न की गई हो, अथवा निर्यातक देश में उसकी कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उस वस्तु के मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं:-

i. नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) साथ उसके संबंधित व्यापारी नलिनव इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझू) कंपनी लिमिटेड
ii. एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी, लिमिटेड (उत्पादक) साथ उसके संबंधित आयातक एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
iii. एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) साथ उसके संबंधित व्यापारी शंघाई एनएआर औद्योगिक कंपनी लिमिटेड
iv. सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड
v. झाओकिंग केएल नई मटेरियल टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड साथ उसके संबंधित निर्यातक ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड
vi. झाओकिंग मोर्थिंक फिल्म टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड साथ उसके संबंधित निर्यातक बीएएसएफ कोटिंग टेक्नॉलजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
vii. बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड

59. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का डेस्क सत्यापन किया है। प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण और अंतिम निष्कर्षों में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

60. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों तथा सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर निर्यात कीमत की जांच की है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपनाई गई नमूना चयन पद्धति के अनुसार, पाटन मार्जिन नमूना चयनित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

62. प्राधिकारी ने इस अनुरोध पर विचार किया है कि कुछ सहयोगी निर्यातकों ने अधिक निर्यात कीमतें रिपोर्ट की हैं अथवा उनके स्वामित्व-आधारित लेनदेन आंकड़े कथित रूप से पाटन के अभाव को दर्शाते हैं। जहां नियम 17(3) के अंतर्गत नमूना चयन का सहारा लिया गया है, वहां व्यक्तिगत पाटन मार्जिन नमूना चयनित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि गैर-नमूना सहयोगी निर्यातकों को नियमावली के अनुसार लागू भारित औसत दर प्राप्त होगी। गैर-नमूना निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई अधिक कीमतें अपने-आप में नमूना चयनित निर्यातकों के लिए किए गए पाटन निर्धारण अथवा गैर-नमूना सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत मार्जिन को अमान्य नहीं करती हैं।

63. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित गोपनीय आंकड़े संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में उनसे प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्षों में ध्यान में रखा जाएगा।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

64. अनुच्छेद 15 का चीन का परिग्रहण प्रोटोकॉल को डब्ल्यूटीओ उपबंध करता है के रूप में निम्नानुसार:

"गैट 1994 के अनुच्छेद VI, सामान्य प्रशुल्क और व्यापार करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ('पाटनरोधी करार') और एससीएम करार, किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे:
(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अधीन कीमत तुलनीयता निर्धारित करते समय, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा, अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:
(i) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां लागू हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता निर्धारित करते समय जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से दर्शाने में असमर्थ हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां लागू हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।
(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अधीन कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित राजसहायता से संबंधित मामलों में एससीएम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है, जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में लागू वर्तमान शर्तें और परिस्थितियां उपयुक्त मानदंड के रूप में सदैव उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य चीन के बाहर लागू शर्तों और परिस्थितियों का उपयोग करने पर विचार करने से पहले चीन में लागू शर्तों और परिस्थितियों को समायोजित करेगा।
(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों की सूचना पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को देगा और उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों की सूचना राजसहायता और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को देगा।
(घ) जब चीन, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अधीन, यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तब उप-पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था

संबंधी मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार, यह स्थापित करता है कि किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां लागू हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।"

65. घरेलू उद्योग ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां लागू हैं। घरेलू उद्योग के अनुसार, यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

66. वर्तमान मामले में किसी भी सहयोगी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित किया जाएगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से किया जाएगा। संबंधित देश और विचाराधीन उत्पाद, और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। किसी भी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी भी समान मामले में की गई जांच के लिए, जहां उपयुक्त हो, समय सीमा के भीतर ध्यान दिया जाएगा। जांच के पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"

67. आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बनाया जा सके। अतः प्राधिकारी

ने सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है, जिसके लिए आवेदक की उत्पादन लागत को आधार बनाया गया है और उसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

68. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण पीसीएन-वार आधार पर किया है, जहां-जहां सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई गई और प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया।

69. प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर लेनदेन-वार सूचना, संगत आयात आंकड़ों और जांच की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर निर्यात कीमत की जांच की है। जहां लागू हो, वहां अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह एवं संबंधित व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, ऋण लागत और अन्य व्ययों के मद में समायोजन किए गए हैं, ताकि कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

क. एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड

70. एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित आयातक/व्यापारी, एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, के साथ जांच में भाग लिया है।

71. उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की सूचना दी है। ये निर्यात भारत में उसके संबंधित आयातक/व्यापारी, अर्थात एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, को किए गए हैं, जिसने तत्पश्चात विचाराधीन उत्पाद को भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बेचा है।

72. उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन निर्यातित मात्रा की सूचना दी है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए ऋण लागत और अन्य लागू व्ययों, जहां संगत हों, के मद में समायोजन का दावा किया है।

73. प्राधिकारी ने एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड और एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात मात्रा और मूल्य को, आवश्यक समायोजन करते हुए, जहां लागू हो, निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए माना गया है।

74. इस प्रकार निर्धारित निवल बिक्री प्राप्ति निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड

75. एनएआर कोटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित व्यापारी, शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, के साथ जांच में भाग लिया है।

76. उत्पादक/निर्यातक ने विभिन्न माध्यमों से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की सूचना दी है, अर्थात भारत में असंबद्ध ग्राहकों को प्रत्यक्ष निर्यात, अपने संबंधित व्यापारी शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात तथा 3एम इनोवेशन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निर्यात।

77. उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन निर्यातित मात्रा की सूचना दी है।

78. उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह एवं अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत, बैंक प्रभार और अन्य लागू व्ययों के मद में समायोजन का दावा किया है। 3एम इनोवेशन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किए गए लेनदेनों के संबंध में प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।

79. प्राधिकारी ने एनएआर कोटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए समायोजन करने के पश्चात पीसीएन-वार आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

80. इस प्रकार निर्धारित निवल बिक्री प्राप्ति निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ग. नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड

81. नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित व्यापारी, नालिन्व इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड, के साथ जांच में भाग लिया है।

82. उत्पादक ने सूचित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात भारत में असंबद्ध ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने संबंधित व्यापारी, नालिन्व इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड, के माध्यम से किया है।

83. उत्पादक/निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन निर्यातित मात्रा की सूचना दी है। दावा किए गए समायोजनों के बाद, निवल निर्यात कीमत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।

84. उत्पादक/निर्यातक ने कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह एवं अन्य संबंधित व्ययों तथा अन्य लागू समायोजनों के मद में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने नानटोंग एनकोडा पॉलीयूरेथेन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और नालिन्व इंटरनेशनल ट्रेड (ग्वांगझोऊ) कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर लेनदेन-वार सूचना की जांच की है और आवश्यक समायोजन करने के पश्चात पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

85. इस प्रकार निर्धारित निवल बिक्री प्राप्ति निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

घ. गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

सत्यमेव जयते

86. गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नमूना चयन पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माने गए अनुसार, नमूना चयनित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर माना गया है। गैर-नमूना चयनित सहयोगी उत्पादकों में सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड, झाओकिंग केएल न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, उसके संबंधित निर्यातक ग्वांगझू यूक्वान कम्पोजिट मटीरियल कंपनी लिमिटेड सहित, झाओकिंग मोर्थिंक फिल्म टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, उसके संबंधित निर्यातक बीएएसएफ कोटिंग टेक्नोलॉजी (शंघाई) कंपनी लिमिटेड सहित, और बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

ङ. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

87. चीन जन. गण. के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

88. चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों, गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित हैं।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

89. ऊपर प्रदान किए गए अनुसार संरचित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**उत्पादक**	**सीएकनवी (अमरीकी डॉलर/एमटी)**	**एकनईपी (अमरीकी डॉलर/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन (सीमा)**
1	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	150-200
2	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	300-350
3	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	50-100
4	गैर-नमूना चयनित सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	200-250
5	अन्य	***	***	***	***	400-450

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

90. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग के अपने आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री, रोजगार, वेतन और उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। सोलह क्षति संकेतकों में से तेरह से चौदह संकेतक सकारात्मक हैं। कुछ प्रतिकूल संकेतक, यदि कोई हैं, तो वे आयातों के कारण नहीं, बल्कि प्रारंभिक लागतों, पूंजीगत व्यय और मूल्यह्रास के कारण हैं।

ii. किसी भी कथित क्षति का कारण पाटित आयात नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अचानक क्षमता विस्तार, प्रारंभिक निवेश लागतें और पश्च-एकीकरण का संरचनात्मक अभाव है। घरेलू उद्योग को हुई हानि उसके तीव्र क्षमता विस्तार के बाद हुई, जिसमें क्षमता 2022-23 में 145 सूचकांक बिंदु से बढ़कर 2023-24 में 250 सूचकांक बिंदु हो गई। इससे स्थिर लागतों में वृद्धि हुई और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

iii. घरेलू उद्योग पीपीएफ खंड में हाल ही में प्रवेश करने वाला उत्पादक है। प्रारंभिक स्थापना और विस्तार संबंधी गतिविधियों, जिनमें मूल्यह्रास, ब्याज और व्यवसाय स्थापित करने की अग्रिम लागतें शामिल हैं, के वितीय प्रभाव घरेलू उद्योग के आंतरिक वाणिज्यिक कारक हैं।

iv. घरेलू उद्योग के अपने सार्वजनिक वक्तव्य आवेदन में किए गए क्षति संबंधी दावों के विपरीत हैं। घरेलू उद्योग ने कहा था कि पीपीएफ लाइन पर मांग क्षमता से अधिक थी, उत्पादों को घरेलू और विदेशी बाजारों में अच्छी स्वीकृति मिली थी, और दूसरी पीपीएफ लाइन सितंबर 2025 से चालू होने की अपेक्षा थी।

v. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि उसने सावधि ऋणों सहित सभी ऋणों का भुगतान कर दिया है और वह निवल ऋणमुक्त हो गया है। यह स्थिति वित्तीय संकट के दावे से मेल नहीं खाती।

vi. आयातों में वृद्धि घरेलू मांग और बाजार के विस्तार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। चीन से आयात घरेलू उद्योग को प्रतिस्थापित करने के बजाय समग्र बाजार विस्तार के अनुरूप बढ़े हैं।

vii. चीन जन. गण. से आयातों का पहुंच मूल्य वित्त वर्ष 2021-22 में 9,29,319 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 16,53,667 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गया। यह तथ्य महत्वपूर्ण कीमत ह्रास या कीमत दमन के दावे का समर्थन नहीं करता।

viii. घरेलू उद्योग ने स्वयं कहा है कि उसने प्रारंभिक प्रस्ताव और अन्य बाजार प्रवेश उपाय अपनाए, क्योंकि वह पीपीएफ बाजार में केवल चार वर्ष पुराना था और स्थापित वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ऐसी मूल्य निर्धारण रणनीति से उत्पन्न मार्जिन पर दबाव स्वयं-जनित है।

ix. घरेलू उद्योग की लागत संरचना प्रीमियम निर्यात आदेशों, अन्य ब्रांड नाम से की गई आपूर्तियों और उच्च आश्वासन अवधि वाले उत्पादों के कारण प्रभावित हो सकती है, जिनके लिए विशेष आयातित रेजिन की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे निर्यातोन्मुख प्रीमियम उत्पादन को सामान्य घरेलू बिक्री की लागत के साथ मिला दिया गया है, तो घरेलू खंड की बिक्री लागत और क्षतिरहित कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई प्रतीत होगी।

x. घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि माल-सूची में वृद्धि मुख्यतः किसी अन्य खंड, अर्थात एससीएफ अथवा खिड़की फिल्म, में हुई थी और वह निर्यात चैनलों तथा कोविड के बाद मांग में सुधार से जुड़ी थी। ऐसी माल-सूची को चीन जन. गण. से पीपीएफ के आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

xi. आधार वर्ष में संबद्ध आयात केवल 40 मीट्रिक टन थे, फिर भी घरेलू उद्योग ने उस वर्ष हानि होने का दावा किया है। इससे स्पष्ट है कि आधार वर्ष की हानि संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती थी।

xii. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। निर्यात बिक्री सूचकांक 100 से बढ़कर 2911 हो गया, जबकि घरेलू बिक्री सूचकांक 100 से बढ़कर 1610 हुआ।

xiii. घरेलू उद्योग पहले से ही 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क से संरक्षित है। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्यह्रास से भी घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त हुआ है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को मात्रा संबंधी क्षति और कीमत संबंधी क्षति, दोनों हुई हैं। इसका घरेलू उद्योग के आर्थिक और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ii. क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में 1,001 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मांग में वृद्धि 576 प्रतिशत रही। संबद्ध देश से आयातों ने भारतीय बाजार में एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा प्राप्त किया और जांच अवधि में उनका बाजार हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंच गया।

iii. वर्ष 2023-24 से घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 23 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जबकि घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक और बाजार विकसित करने वाला उत्पादक है।

iv. जांच अवधि में संबद्ध देश से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य 16,53,667 रुपये प्रति मीट्रिक टन रहा, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत *** रुपये प्रति मीट्रिक टन और बिक्री लागत *** रुपये प्रति मीट्रिक टन रही। जांच अवधि में कीमत कटौती *** प्रतिशत और क्षति मार्जिन *** प्रतिशत रहा।

v. घरेलू उद्योग बाजार में बने रहने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कम करने अथवा रोककर रखने के लिए बाध्य हुआ है और उसे अपनी बिक्री लागत से कम कीमत पर परिचालन जारी रखना पड़ा है।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार का निर्णय भारत में तेजी से बढ़ते बाजार को देखते हुए लिया गया था। यह एक उचित वाणिज्यिक अपेक्षा पर आधारित था कि देश का एकमात्र घरेलू उत्पादक बढ़ते हुए बाजार में पर्याप्त रूप से भाग ले सकेगा।

vii. उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन बंद करने अथवा उत्पादन स्थगित करने से जुड़ी महत्वपूर्ण लागतें आती हैं। इसलिए उत्पादन या बिक्री मात्रा को कम करना घरेलू उद्योग के लिए व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग को लगातार हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2022-23 और जांच अवधि को मिलाकर घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण संचयी हानि उठाई है।

ix. भारत में बाजार को घरेलू उद्योग ने अपने पारिस्थितिकी-तंत्र निर्माण प्रयासों के माध्यम से काफी हद तक विकसित किया है। इसमें लगभग 170 गरवारे एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करना और लगभग 900 से 1000 पेशेवरों को प्रशिक्षण देना शामिल है। पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा विकसित किए गए बाजार का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

x. ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति हुई हो अथवा जिसमें ऐसी क्षति में योगदान दिया हो। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र और निकटतम कारण संबद्ध देश से पाटित आयात हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

92. नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़े जाने पर यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण उन कारकों की जांच पर आधारित होगा, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं। इस जांच में सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है।

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संज्ञान लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू विधि को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण नीचे विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का तथ्यात्मक रूप से समाधान करता है।

I. आकलन का मांग/स्पष्ट खपत

94. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है मांग/स्पष्ट खपत का उत्पाद में भारत के रूप में सुम का घरेलू बिक्री का घरेलू उद्योग, अनुमानित बिक्री का अन्य उत्पादकों और आयात से सभी स्रोत

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	432	1,249	1,610
2	चीन से आयात	एमटी	36	129	343	492
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	46	47	40	34
4	कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	548	742

95. यह देखा गया है कि मांग के लिए संबद्ध वस्तु है बढ़ा महत्वपूर्ण रूप से से अधिक क्षति अवधि, बढ़ता हुआ से ***एमटी में आधार वर्ष को ***एमटी में पीओआई, प्रतिनिधित्व करते हुए एक वृद्धि का लगभग 642% में सूचीबद्ध संदर्भों घरेलू उद्योग, जो है एकमात्र उत्पादक का समान वस्तु में भारत, बढ़ा उसके घरेलू बिक्री से ***एमटी को ***एमटी से अधिक समान अवधि। चीन से आयात जन. गण. गंभीर से 36 एमटी को 492 एमटी, जबकि आयात से अन्य देशों गिरा से 46 एमटी को 34 एमटी।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग शुरू किया वाणिज्यिक उत्पादन का संबद्ध वस्तु में आधार वर्ष स्वयं और है क्रमशः विस्तारित अपनी क्षमता के दौरान क्षति अवधि। तेजी से विस्तार कर रहा मांग, संयोजित के साथ उपस्थिति का एक एकमात्र घरेलू उत्पादक, दर्शाता है एक बाजार पर्यावरण में जो घरेलू उद्योग चाहिए सक्षम हैं को सुरक्षित करना एक बड़ा हिस्सा का बढ़ता हुआ खपत। हालांकि, के रूप में जांच की में अगले पैराग्राफ, एक महत्वपूर्ण भाग का वृद्धिशील मांग समाहित है द्वारा संबद्ध आयात।

97. मात्रा के संबंध में का पाटित आयात, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या एक महत्वपूर्ण वृद्धि में पाटित आयात, या तो में निरपेक्ष संदर्भों या के सापेक्ष उत्पादन या खपत में भारत। संगत जानकारी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**माप इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
1	चीन से आयात	एमटी	36	129	343	492
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	46	47	40	34
3	कुल आयात	एमटी	82	176	383	527
4	भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	548	742
5	**संबद्ध आयात, निम्न के संबंध में:**					
i	भारतीय घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	76	85
ii	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	174	184
iii	कुल आयात	%	44%	73%	90%	93%
6	**घरेलू बिक्री का हिस्सा, निम्न के संबंध में:**					
i	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	183	228	217

98. यह देखा गया है कि मात्रा का पाटित आयात से संबद्ध देश है बढ़ा तेजी से और लगातार से अधिक क्षति अवधि। संबद्ध आयात बढ़ा से 36 एमटी में 2021-22 को 492 एमटी में पीओआई, एक वृद्धि का लगभग 1,267%। इसी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कुल मांग 92 मीट्रिक टन से बढ़कर *** मीट्रिक टन हो गई, जो लगभग *** प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में वृद्धि घरेलू मांग के विस्तार की दर से लगभग दोगुनी रही है। इससे स्पष्ट है कि संबद्ध आयात केवल बाजार की वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने बाजार वृद्धि से कहीं अधिक तेजी से विस्तार किया है।

99. हिस्सा का संबद्ध आयात में भारतीय मांग बढ़ा से ***% में आधार वर्ष को ***% में पीओआई। हिस्सा का संबद्ध आयात में कुल आयात बढ़ा से 44% में आधार वर्ष को 93% में पीओआई। थेसे प्रवृत्तिएकस दर्शा कि संबद्ध आयात नहीं हैं केवल प्राप्त किया एक प्रमुख स्थिति में भारतीय बाजार परंतु हैं भी क्रमशः विस्थापित आयात से अन्य देशों, जो गिरा से 46 एमटी में आधार वर्ष को 34 एमटी में पीओआई।

100. हिस्सा का संबद्ध आयात में कुल भारतीय घरेलू बिक्री था अधिक से 300% के माध्यम से अधिकांश का क्षति अवधि सहित पीओआई।

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि घरेलू उद्योग का घरेलू बिक्री बढ़ा महत्वपूर्ण रूप से, से ***एमटी में आधार वर्ष को ***एमटी में पीओआई (सूचीबद्ध 1,570), घरेलू उद्योग का हिस्सा में कुल मांग सुधरा केवल से ***% में 2021-22 को ***% में पीओआई। में विरोधाभास, संबद्ध आयात समाहित एक ***% हिस्सा का मांग। घरेलू उद्योग, के बावजूद होने एकमात्र उत्पादक में भारत, नहीं हो सकता प्राप्त करना एक उचित हिस्सा का विस्तार कर रहा बाजार क्योंकि वृद्धिशील मांग था बड़े पैमाने पर समाहित द्वारा पाटित संबद्ध आयात।

102. प्राधिकारी ने माना है अनुरोध का हितबद्ध पक्षकारों कि वृद्धि में आयात है मांग-संचालित और दर्शाता हैस बाजार विस्तार। यद्यपि मांग है वास्तव में वृद्ध महत्वपूर्ण रूप से, अनुपातहीन वृद्धि में संबद्ध आयात के सापेक्ष मांग वृद्धि, प्रमुख और बढ़ता हुआ बाजार हिस्सा का संबद्ध आयात, और विस्थापन का तीसरे देश आयात दर्शाता है कि संबद्ध आयात नहीं हैं मात्र उत्तर दिया को मांग परंतु हैं सक्रिय रूप से परे-मपटेद घरेलू उद्योग से हासिल करना एक बड़ा भाग का बाजार।

II. कीमत प्रभाव का पाटित आयात पर घरेलू उद्योग

103. के संबंध में प्रभाव का पाटित आयात पर कीमतें, यह आवश्यक है को हो विश्लेषित क्या एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती द्वारा कथित पाटित आयात के रूप में तुलना की को कीमत का समान उत्पाद में भारत, या क्या प्रभाव का ऐसी आयात है अन्यथा दबाना कीमतें या परयहां तक किट कीमत वृद्धि, जो अन्यथा होगा हैं घटित हुआ में सामान्य प्रक्रिया।

क. कीमत कटौती

104. फोर प्रयोजन का कीमत कटौती विश्लेषण, निवल बिक्री प्राप्ति बिक्री प्राप्ति का घरेलू उद्योग है तुलना की के साथ पहुंच मूल्य का आयात से संबद्ध देश।

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	पहुंच मूल्य से चीन	रु./एमटी	8,03,668	14,00,953	13,73,156	12,29,646
2	घरेलू बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	97
3	कीमत कम कीमत पर कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
4	कीमत कम कीमत पर कटौती	%	***	***	***	***
	सीमा		400-500	200-300	200-300	200-300

105. यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है और महत्वपूर्ण पूरी अवधि में क्षति अवधि और में पीओआई। पहुंच मूल्य का संबद्ध आयात महत्वपूर्ण है रूप से से कम घरेलू उद्योग का बिक्री कीमत में प्रत्येक अवधि। कटौती महत्वपूर्ण था रूप से उच्च पर ***% में पीओआई। यद्यपि मात्रा का कटौती संतुलित हुआ से असाधारण रूप से उच्च लेवेल आपत्ति करनाद में आधार वर्ष, यह बना रहा में सीमा का 200-300% के दौरान पीओआई और जारी रहनास को हो दोनों महत्वपूर्ण और लगातार प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसी एक महत्वपूर्ण और निरंतर कीमत गअप है ेनसक्षमद संबद्ध आयात को सुरक्षित करना आदेश, विक्रेता और अंतिम उपयोगआर पसंदर्भ में भारतीय बाजार पर व्यय का घरेलू उद्योग।

ख. कीमत दमन/ह्रास

106. में आदेश को निर्धारित करना क्या पाटित आयात हैं दबाव डालना या दबाव डालना घरेलू कीमतें, परिवर्तन में लागतें और कीमतें से अधिक क्षति अवधि हैं जांच की निम्नानुसार:

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लागत का बिक्री	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	95	92
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	97
3	पहुंच मूल्य से चीन	रु./एमटी	8,03,668	14,00,953	13,73,156	12,29,646

107. यह देखा गया है कि:

i. बिक्री लागत का घरेलू उद्योग गिरा से रु. *** प्रति एमटी (सूचीबद्ध 100) में आधार वर्ष को रु. *** प्रति एमटी (सूचीबद्ध 92) में पीओआई। बिक्री कीमत भी गिरा, से रु. *** प्रति एमटी (सूचीबद्ध 100) को रु. *** प्रति एमटी (सूचीबद्ध 97) से अधिक समान अवधि।

ii. बिक्री कीमत का घरेलू उद्योग था निरंतर से कम बिक्री लागत के दौरान क्षति अवधि सहित पीओआई सिवाय में 2022-23.

iii. पहुंच मूल्य का संबद्ध आयात बढ़ा से रु. 8,03,668 प्रति एमटी को रु. 12,29,646 प्रति एमटी में पीओआई। के बावजूद यह वृद्धि, पहुंच मूल्य बना रहा महत्वपूर्ण रूप से से कम घरेलू उद्योग का बिक्री कीमत और बिक्री लागत में क्षति अवधि।

108. प्राधिकारी ने माना है अनुरोध का हितबद्ध पक्षकारों कि पहुंच मूल्य का संबद्ध आयात बढ़ा के दौरान क्षति अवधि। यद्यपि पहुंच मूल्य किया वृद्धि में निरपेक्ष और सूचीबद्ध संदर्भों, यह जारी रहा को हो एक छोटा अंश का घरेलू उद्योग का बिक्री कीमत और बिक्री लागत। घरेलू उद्योग उठाया गया हानि में तीन का चार अवधियां, और उसके बिक्री कीमत बना रहा से कम बिक्री लागत यहां तक कि के रूप में उत्पादन और बिक्री मात्राएं थे विस्तार कर रहा व्यापक और लगातार गअप के बीच पहुंच मूल्य का संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग का कीमतें दर्शाते हैंस कि पाटित आयात दबा हुआ और दबा हुआ घरेलू कीमतें घरेलू उद्योग था असमर्थ को समरूप होना उसके बिक्री कीमत के साथ अपनी लागत संरचना ताकि प्राप्त करना टिकाऊ लाभप्रदता।

III. आर्थिक मापदंड का घरेलू उद्योग

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

110. जानकारी पर क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री हैं दिया गया से कम।

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	250	250
2	उत्पादन (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	353	2481	2834
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	244	992	1134
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	420	1220	1570
5	मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	548	742

111. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता क्षति अवधि के दौरान काफी बढ़ी। यह आधार वर्ष में 1,200 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,000 मीट्रिक टन हो गई।

ii. संबद्ध वस्तु का उत्पादन आधार वर्ष में *** मीट्रिक टन था, जो जांच अवधि में बढ़कर *** मीट्रिक टन हो गया। यह वृद्धि विचाराधीन उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। समग्र रूप से, अभिलेख से स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

iii. क्षमता उपयोग वर्ष 2021-22 में *** प्रतिशत था, जो जांच अवधि में बढ़कर *** प्रतिशत हो गया। क्षमता उपयोग में यह सुधार आंशिक रूप से निर्यात में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुआ है।

iv. घरेलू बिक्री में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह आधार वर्ष में *** मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में ***मीट्रिक टन हो गई, जो मात्रा की दृष्टि से लगभग 15 गुना वृद्धि को दर्शाती है।

v. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़े हुए क्षमता उपयोग का बड़ा भाग निर्यात बाजार की ओर निर्देशित था और केवल घरेलू बिक्री के आधार पर क्षमता उपयोग एकल अंक में ही बना रहा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के परिचालन में एक महत्वपूर्ण निर्यात घटक शामिल है और क्षति विश्लेषण उसके घरेलू परिचालन के आधार पर किया गया है।

क्र. सं.	बाजार हिस्सा का	**माप इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	183	228	217
2	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	174	184
3	अन्य देश	%	50%	22%	8%	5%

112. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में ***प्रतिशत था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***प्रतिशत हो गया। सूचीबद्ध आधार पर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच अवधि में बढ़कर 217 हो गया।

ii. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा तेजी से बढ़ा। यह आधार वर्ष में ***प्रतिशत था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***प्रतिशत हो गया। इससे स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों ने भारतीय मांग का एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा प्राप्त किया।

iii. अन्य देशों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 50 प्रतिशत था, जो जांच अवधि में घटकर 5 प्रतिशत रह गया। इससे यह भी स्पष्ट है कि संबद्ध आयातों ने न केवल घरेलू उद्योग को, बल्कि तीसरे देशों से होने वाले आयातों को भी प्रतिस्थापित किया है।

113. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संज्ञान लिया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा सूचीबद्ध आधार पर बढ़ा है और यह सुधार क्षति के निष्कर्ष के विपरीत है। तथापि, आधार वर्ष में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल ***प्रतिशत था। प्रतिशत के रूप में वृद्धि महत्वपूर्ण होने के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल ***प्रतिशत तक ही पहुंचा। इसके विपरीत, संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में ***प्रतिशत था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***प्रतिशत हो गया। ऐसे बाजार में, जिसे घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने का दावा किया है, और जहां वह एकमात्र भारतीय उत्पादक है, जांच अवधि में एक-चौथाई से भी कम बाजार हिस्सा यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग का उचित हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा। बाजार वृद्धि का लाभ मुख्य रूप से पाटित संबद्ध आयातों को प्राप्त हुआ है।

114. यह उल्लेखनीय है कि तेजी से बढ़ते बाजार में नया उत्पादक उत्पादन, बिक्री और रोजगार में वृद्धि दिखा सकता है, फिर भी उसे वास्तविक क्षति हो सकती है, यदि पाटित आयात उसे लाभकारी कीमतें प्राप्त करने और बाजार वृद्धि का उचित हिस्सा लेने से रोक रहे हों। पाटनरोधी नियमावली में संकेतकों के समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्षति कारक एक साथ प्रतिकूल ही दिखाई दे। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी वृद्धि लगातार कीमत कटौती, कीमत अवरोध, हानि, नकारात्मक नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल के साथ मौजूद है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि सकारात्मक मात्रा संकेतक वास्तविक क्षति को नकारते नहीं हैं।

ख. भंडार

115. भंडार स्थिति के साथ घरेलू उद्योग से अधिक क्षति अवधि है दिया गया में नीचे दी गई तालिका:

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	आरंभिक भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	272	629
2	अंतिम भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	431	851	1057
3	औसत भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	206	497	795

116. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग का आरंभिक भंडार आधार वर्ष में ***मीट्रिक टन था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***मीट्रिक टन हो गया। सूचीबद्ध आधार पर आरंभिक भंडार जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में बढ़कर 629 सूचकांक बिंदु हो गया। इससे स्पष्ट है कि निरपेक्ष रूप से भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग का अंतिम भंडार आधार वर्ष में ***मीट्रिक टन था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***मीट्रिक टन हो गया। सूचीबद्ध आधार पर अंतिम भंडार जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में बढ़कर 1,057 सूचकांक बिंदु हो गया। यह निरपेक्ष रूप से भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

iii. औसत भंडार आधार वर्ष में ***मीट्रिक टन था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***मीट्रिक टन हो गया। सूचीबद्ध आधार पर औसत भंडार जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में बढ़कर 795 सूचकांक बिंदु हो गया।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और प्रतिफल पर निवेश

117. प्रदर्शन का घरेलू उद्योग के साथ संबंध का लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीयह, और प्रतिफल पर निवेश है दिया गया से कम।

क्र. सं.	**विवरण**	**माप इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
1	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	635	-698	-386
3	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	147	-56	-24
5	मूल्यह्रास	लाख रु.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	728	676	747
7	कअश लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	865	-702	-325
9	ब्याज	लाख रु.	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	598	161	35
11	नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	151	190	180
13	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	लाख रु.	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचकांक	-100	879	-530	-413

118. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में ***लाख रुपये की हानि हुई थी, जो जांच अवधि में बढ़कर ***लाख रुपये हो गई। सूचीबद्ध आधार पर लाभ/हानि आधार वर्ष में -100 से घटकर जांच अवधि में -386 हो गई।

ii. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में ***लाख रुपये की नकद हानि हुई थी, जो जांच अवधि में बढ़कर ***लाख रुपये हो गई। सूचीबद्ध आधार पर नकद लाभ आधार वर्ष में -100 से घटकर जांच अवधि में -325 हो गया।

iii. घरेलू उद्योग ने केवल वर्ष 2022-23 में सकारात्मक ब्याज और कर पूर्व लाभ दर्ज किया, जबकि शेष तीन अवधियों में ब्याज और कर पूर्व लाभ नकारात्मक रहा।

iv. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आधार वर्ष में -***प्रतिशत था, जो जांच अवधि में और घटकर -***प्रतिशत हो गया। सूचीबद्ध आधार पर नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आधार वर्ष में -100 से घटकर जांच अवधि में -413 हो गया।

119. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संज्ञान लिया है कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग को हुई हानि संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस वर्ष आयात केवल 36 मीट्रिक टन थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग उस समय वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभिक वर्ष में था और प्रारंभिक लागतों तथा शुरुआती उत्पादन अक्षमताओं से आधार वर्ष की हानि आंशिक रूप से स्पष्ट होती है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादन और बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद भी घरेलू उद्योग निरंतर लाभप्रदता प्राप्त करने में असमर्थ रहा। चार अवधियों में से तीन अवधियों में उसकी बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही।

120. प्राधिकारी ने इस अनुरोध पर भी विचार किया है कि घरेलू उद्योग हाल ही में बाजार में प्रवेश करने वाला उत्पादक है और प्रारंभिक तथा विस्तार संबंधी गतिविधियों के वित्तीय प्रभाव उसके आंतरिक वाणिज्यिक कारक हैं। यद्यपि प्रारंभिक लागतों ने लागत संरचना को प्रभावित किया हो सकता है, फिर भी क्षति अवधि के दौरान, विशेषकर जांच अवधि में, जब उत्पादन और बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लाभकारी परिचालन प्राप्त करने में लगातार असमर्थता यह दर्शाती है कि अन्य कारक भी घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे थे। वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग का थोड़े समय के लिए लाभप्रदता में लौटना, जब आयात मात्राएं तुलनात्मक रूप से सीमित थीं और आयात कीमतें बढ़ी हुई थीं, यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के अभाव में उसका परिचालन व्यवहार्य हो सकता था। वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में हानियों का पुनः बढ़ना और गहराना संबद्ध आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि तथा लगातार कीमत कटौती के साथ-साथ हुआ। इससे स्पष्ट है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्राथमिक कारण हैं।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

121. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता का घरेलू उद्योग से अधिक क्षति अवधि हैं दिया गया में नीचे दी गई तालिका:

क्र. सं.	विशिष्ट	माप इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	332	514	523
3	मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	720	1851	1953
5	मजदूरी/कर्मचारी (आरएकस)	रु./कर्मचारी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	217	360	374

122. यह देखा गया है कि:

i. संबद्ध वस्तु के उत्पादन में लगे कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2021-22 में *** थी, जो जांच अवधि में बढ़कर *** हो गई। सूचीबद्ध आधार पर यह 523 रही। इससे क्षति अवधि के दौरान रोजगार में पांच गुना से अधिक वृद्धि स्पष्ट होती है।

ii. वेतन और मजदूरी आधार वर्ष में *** लाख रुपये थी, जो जांच अवधि में बढ़कर *** लाख रुपये हो गई। सूचीबद्ध आधार पर यह 1,953 रही। यह कार्यबल में महत्वपूर्ण वृद्धि और परिचालन के विस्तार को दर्शाता है।

iii. प्रति कर्मचारी मजदूरी *** रुपये से बढ़कर *** रुपये हो गई। (सूचीबद्ध आधार पर यह 374) रही। इससे अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी औसत पारिश्रमिक में सुधार स्पष्ट होता है।

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि और वेतन में वृद्धि अतिरिक्त क्षमता के चालू होने तथा उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप है। प्रति कर्मचारी मजदूरी में वृद्धि से यह भी स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने में सक्षम है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रोजगार और उत्पादकता में हुए इन सकारात्मक सुधारों के अनुरूप लाभप्रदता में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि पाटित संबद्ध आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

ङ. वृद्धि

124. नीचे दी गई तालिका दर्शाता है वृद्धि का घरेलू उद्योग में संदर्भो का विभिन्न मापदंड

क्र. सं.	विवरण	माप इकाई	2022-23	2023-24	पीओआई
1	उत्पादन	%	-13%	245%	20%
2	बिक्री	%	320%	190%	29%
3	लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	-247%	-138%	-57%
4	भंडार	%	117%	66%	4%
5	बाजार हिस्सा	%	83%	25%	-5%
6	कर पूर्व लाभ	%	-735%	-210%	-45%

अंतिम निष्कर्ष

7	कअश लाभ	%	-965%	-181%	-54%
8	नियोजित पूंजी	%	51%	26%	-5%
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-979%	-160%	-22%

125. यह देखा गया है कि:

i. उत्पादन वृद्धि वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2021-22 की तुलना में, -13 प्रतिशत रही। इसके बाद यह वर्ष 2023-24 में मजबूत रूप से बढ़कर 245 प्रतिशत हो गई और जांच अवधि में, वर्ष 2023-24 की तुलना में, 20 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक गिरावट के बाद उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

ii. बिक्री वृद्धि ने भी व्यापक रूप से समान प्रवृत्ति दिखाई। यह वर्ष 2022-23 में 320 प्रतिशत, वर्ष 2023-24 में 190 प्रतिशत और जांच अवधि में 29 प्रतिशत रही। इससे घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बाजार उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास स्पष्ट होते हैं।

iii. तथापि, प्रति इकाई लाभ/(हानि) में लगातार नकारात्मक वृद्धि रही। यह वर्ष 2022-23 में -247 प्रतिशत, वर्ष 2023-24 में -138 प्रतिशत और जांच अवधि में -57 प्रतिशत रही। यद्यपि प्रति इकाई लाभप्रदता में गिरावट की दर कुछ कम हुई, फिर भी घरेलू उद्योग पूरी अवधि में हानि की स्थिति में रहा।

iv. भंडार वृद्धि वर्ष 2022-23 में 117 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 66 प्रतिशत और जांच अवधि में और घटकर 4 प्रतिशत रह गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भंडार में वृद्धि धीरे-धीरे नियंत्रण में आई।

v. बाजार हिस्सा वृद्धि वर्ष 2022-23 में 83 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 25 प्रतिशत रह गई और जांच अवधि में -5 प्रतिशत हो गई। इससे स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने पूर्व अवधियों में प्राप्त बाजार हिस्से का कुछ भाग खो दिया।

vi. कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, तीनों ने क्षति अवधि के दौरान गहरी नकारात्मक वृद्धि दरें दर्ज कीं, यद्यपि जांच अवधि में गिरावट की तीव्रता कुछ कम हुई।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मात्रा के स्तर पर, विशेष रूप से उत्पादन और बिक्री में, मजबूत विस्तार प्राप्त किया है। तथापि, कीमत और वित्तीय मापदंड लगातार नकारात्मक अथवा तेजी से घटती हुई प्रवृत्ति दिखाते हैं। मजबूत मात्रा विस्तार के साथ-साथ लाभप्रदता और प्रतिफल में लगातार गिरावट यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग अपनी बाजार उपस्थिति बनाए रखने के लिए दबावग्रस्त कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य है। जांच अवधि में कुछ वित्तीय संकेतकों की गिरावट की दर कम होने से यह तथ्य समाप्त नहीं होता कि घरेलू उद्योग अभी भी हानि में कार्य कर रहा है और अपने निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करने में असमर्थ है। यह स्थिति पाटित संबद्ध आयातों द्वारा डाले गए दबाव के कारण उत्पन्न हुई है।

च. पाटन मार्जिन की मात्रा

127. मात्रा का पाटन है एक संकेतक का सीमा को जो आयात हैं होने पाटित में भारत। जांच है दिखाया गया कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और महत्वपूर्ण के दौरान जांच की अवधि।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

128. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है और आगे क्षमता विस्तार तथा पश्च-एकीकरण के लिए सार्वजनिक रूप से योजनाएं घोषित की हैं। तथापि, लगातार वित्तीय हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल यह दर्शाते हैं कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

129. डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि संबद्ध देश से आयातों की भारित औसत आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम है। अन्य देशों से आयात ऐसी कीमतों पर हुए हैं, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के तुलनीय अथवा उससे अधिक हैं और वे क्षति का कारण नहीं हैं। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रही है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

130. प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करे, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो, ताकि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति न माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार-प्रतिबंधात्मक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और उत्पादकता शामिल हो सकते हैं। नीचे यह जांच की गई है कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों में से किसी कारक ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है अथवा नहीं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

131. यह देखा गया है कि चीन जन. गण. के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष मात्रा और भारतीय मांग में हिस्सेदारी, दोनों दृष्टियों से तेजी से घटे हैं। तीसरे देशों से आयातों की मात्रा वर्ष 2021-22 में 46 मीट्रिक टन थी, जो जांच अवधि में घटकर 34 मीट्रिक टन रह गई। इसी प्रकार, भारतीय मांग में उनका हिस्सा आधार वर्ष में 50 प्रतिशत था, जो जांच अवधि में घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह गया। इन आयातों का पहुंच मूल्य प्रत्येक अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के तुलनीय

अथवा उससे अधिक रहा है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि तीसरे देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

ख. मांग में संकुचन

132. यह देखा गया है कि मांग के लिए संबद्ध वस्तु विस्तारित महत्वपूर्ण रूप से से अधिक क्षति अवधि, बढ़ता हुआ से *** एमटी में 2021-22 को *** एमटी में पीओआई। तदनुसार, घरेलू उद्योग नहीं है सहन की क्षति पर मद पर किसी संकुचन में मांग।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

133. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां

134. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी व्यापार-प्रतिबंधात्मक पद्धतियों के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि इस कारक ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान नहीं दिया है।

ङ. टेक्नॉलजी का विकास

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

च. निर्यात निष्पादन

136. प्राधिकारी ने अपना क्षति विश्लेषण विशेष रूप से घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालन के आधार पर किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने निर्यात बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त की है, तथापि निर्यात प्रदर्शन को अलग रखा गया है और घरेलू बाजार के लिए क्षति आकलन का भाग नहीं बनाया गया है। अतः निर्यात निष्पादन ऐसा कारक नहीं है, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को स्पष्ट कर सके।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

137. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. प्रारंभिक लागत और क्षमता विस्तार

138. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई हानि का कारण प्रारंभिक लागतें, आक्रामक क्षमता विस्तार तथा उससे संबंधित मूल्यह्रास और ब्याज भार हैं। प्राधिकारी ने इस अनुरोध की जांच की है।

139. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और क्षति अवधि के दौरान अपनी स्थापित क्षमता को *** मीट्रिक टन से बढ़ाकर *** मीट्रिक टन कर दिया। मूल्यह्रास आधार वर्ष में सूचीबद्ध 100 से बढ़कर जांच अवधि में 747 हो गया। इसके विपरीत, ब्याज लागत, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर सूचीबद्ध 598 हो गई थी, वर्ष 2023-24 में घटकर *** और जांच अवधि में *** रह गई।

140. यद्यपि प्रारंभिक लागतें और स्थिर लागत भार का क्षमता विस्तार हैं योगदान दिया को घरेलू उद्योग की लागत संरचना, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग वर्ष 2022-23 में, अर्थात उत्पादन के दूसरे वर्ष में, लाभप्रद था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक वृद्धि चरण के संभलने के बाद उसका परिचालन व्यवहार्य हो सकता था।

ii. वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में, उत्पादन और बिक्री में निरंतर वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग पुनः हानि की स्थिति में चला गया। हानि की स्थिति में यह वापसी संबद्ध आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि और कीमतों के अंतर में वृद्धि के साथ-साथ हुई।

iii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम बनी रही। संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों से काफी कम थीं। इसके कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को लागत के अनुरूप करने और टिकाऊ लाभप्रदता प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

141. अतः, यद्यपि प्रारंभिक लागतों और क्षमता विस्तार ने घरेलू उद्योग की लागत संरचना को प्रभावित किया हो सकता है, तथापि प्राधिकारी मानते हैं कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी लागतों की वसूली के लिए आवश्यक लाभकारी कीमतें प्राप्त करने और उचित प्रतिफल अर्जित करने से रोका है। अतः पाटित आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्राथमिक कारण हैं।

झ. स्व-कारित क्षति - प्रारंभिक कीमत निर्धारण और बाजार विकास लागत

142. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक प्रस्तावों और बाजार प्रवेश उपायों को अपनाया था तथा ऐसी रणनीतियों से उत्पन्न मार्जिन पर दबाव स्व-जनित है। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अनुप्रयोग केंद्र स्थापित करने और पेशेवरों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार विकास, अनुप्रयोग केंद्रों और प्रशिक्षण में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निवेश भारत में एक नए उत्पाद के लिए बाजार सृजित करने और उसका विस्तार करने की वैध व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा है। एक निष्पक्ष व्यापार वाले बाजार में, मांग बढ़ने के साथ ऐसे निवेशों

की वसूली सामान्यतः लाभकारी कीमत निर्धारण के माध्यम से हो सकती थी। तथापि, काफी कम कीमतों पर पाटित आयातों की उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को उपयुक्त कीमत निर्धारण के माध्यम से इन निवेशों की वसूली करने से रोका है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि ये लागतें क्षति का कोई पृथक कारण नहीं हैं, बल्कि ऐसी लागतें हैं जिनकी वसूली पाटित आयातों के अभाव में हो सकती थी।

ञ. पश्च-एकीकरण और लागत संरचना

144. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग में पश्च-एकीकरण का अभाव है और यही संरचनात्मक कमी उसकी अधिक लागतों तथा कम मार्जिन का कारण है। यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपनी पश्च-एकीकरण रणनीति के भाग के रूप में टीपीयू एक्सट्रूजन सुविधा स्थापित करने की योजना घोषित की है।

145. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लागत संरचना उसके विकास के चरण और उसके व्यवसायिक निर्णयों का परिणाम है। संगत जांच यह नहीं है कि घरेलू उद्योग सैद्धांतिक रूप से किसी अन्य संरचना में कम लागत पर उत्पादन कर सकता था अथवा नहीं, बल्कि यह है कि वर्तमान स्वरूप में विद्यमान घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में घरेलू उद्योग की लागत संरचना पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करती है।

146. प्राधिकारी ने श्वेत-लेबल उत्पादन, निर्यातोन्मुख उच्च श्रेणी उत्पादन, उच्च आश्वासन अवधि वाले उत्पादों और अलग-अलग राल लागतों से संबंधित आरोपों पर भी विचार किया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कच्चा माल थोक में खरीदा जाता है और विभिन्न उत्पादन धाराओं में उपयोग किया जाता है। अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि निर्यात उत्पादों के लिए प्रयुक्त उच्च श्रेणी के आगतों को घरेलू लागत आधार में मिलाकर क्षति को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। प्राधिकारी ने अपनी स्थापित पद्धति के अनुसार घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का सत्यापन किया है। गलत आवंटन अथवा घरेलू लागतों की कृत्रिम वृद्धि दर्शाने वाले सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में उत्पाद मिश्रण, राल श्रेणियों और श्वेत-लेबल विनिर्माण से संबंधित आरोप क्षति का कोई वैकल्पिक कारण स्थापित नहीं करते हैं।

कारण-संबंध को प्रभावित करने वाले कारक:

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से और भारत में खपत के सापेक्ष, दोनों आधारों पर तेजी से बढ़ी है तथा उन्होंने बाजार का एक प्रमुख और बढ़ता हुआ हिस्सा प्राप्त किया है।
ii. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान लगातार और महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

iii. पाटित आयातों ने घरेलू कीमतों को दबाया और अवरुद्ध किया है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी लागतों की वसूली के लिए कीमतें बढ़ाने और उचित प्रतिफल प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

iv. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकारात्मक नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है, सिवाय वर्ष 2022-23 की एक अल्पकालिक लाभकारी अवधि के।

v. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, यद्यपि निम्न आधार से बढ़ा है, तथापि जांच अवधि में केवल *** प्रतिशत पर रहा, वह भी ऐसे बाजार में जिसे घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण रूप से विकसित करने का दावा किया है। इसके विपरीत, संबद्ध आयातों ने मांग का *** प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया है।

vi. कोई अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करता है। पाटित आयात ही क्षति का निकटतम कारण हैं।

147. उपर्युक्त कारणों से प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गैर-आरोपण संबंधी तर्क, चाहे वे प्रारंभिक लागतों, क्षमता विस्तार, निर्यात, वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों, बाजार-विकास व्ययों, पश्च-एकीकरण, कथित आश्वासन अवधि संबंधी अंतर, उच्च श्रेणी अथवा ब्रांड स्थिति निर्धारण, मूल सीमा शुल्क अथवा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव पर आधारित हों, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से घरेलू बाजार में पाई गई वास्तविक क्षति को स्पष्ट नहीं करते हैं। सत्यापित अभिलेख पाटित आयातों द्वारा प्रमुख बाजार हिस्सा प्राप्त करने, महत्वपूर्ण कीमत कटौती, कीमत अवरोध, वित्तीय हानि और नकारात्मक प्रतिफल के एक साथ और परस्पर सुदृढ़ होते हुए पैटर्न को दर्शाता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

148. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III के साथ पढ़े गए प्रावधानों, यथा संशोधित, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ब्याज, कर और लाभ के लिए औसत नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर से उचित प्रतिफल की अनुमति दी गई है।

149. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	एनआईपी (अमरीकी डॉलर/एमटी)	पहुंच मूल्य (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (सीमा)
1	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	50-100
2	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	200-250
3	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	50-100
4	नोन नमूना चयनित सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	150-200
5	अन्य	***	***	***	***	250-300

ट. प्रभाव आकलन

लोकहित ब्याज और घरेलू उद्योग ब्याज

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

150. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग को हानि होगी और घरेलू बाजार में गरवारे के लिए वास्तविक एकाधिकार की स्थिति बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि टीपीयू आधारित पीपीएफ मुख्यतः उच्च श्रेणी के वाहन क्षेत्र में प्रयुक्त होता है और कोई भी पाटनरोधी शुल्क भारतीय उपभोक्ताओं तथा वाहन मूल उपकरण निर्माताओं के लिए लागत बढ़ाएगा।

151. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क तथा जांच अवधि के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन से पहले ही पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

152. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से समान अवसर उपलब्ध होंगे और घरेलू उद्योग बाजार में उचित शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा तथा उसके तेजी से बिगड़ते वित्तीय आधार की रक्षा होगी। घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार और बाजार विकास सहित महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है।

153. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होगी; बल्कि पाटन पद्धतियों से उत्पन्न अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी। आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रह सकते हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

154. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी पक्षकारों के हितों पर विचार किया है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों से कारित क्षति को समाप्त करना और घरेलू बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयातों के भारतीय बाजार में प्रवेश पर रोक नहीं लगेगी; आयात उचित कीमतों पर जारी रह सकते हैं।

155. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि मौजूदा 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और जांच अवधि के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य सीमा शुल्क और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव पाटनरोधी शुल्क का विकल्प नहीं हैं, जहां पाटन और क्षति सिद्ध हो चुकी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य क्षतिकारक पाटन को संतुलित करना है, न कि सामान्य प्रशुल्क संरक्षण देना।

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने क्षमता विस्तार तथा बाजार विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। क्षतिकारक कीमतों पर पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता के लिए जोखिम उत्पन्न करती है और भविष्य में पूर्ण आयात-निर्भरता पैदा कर सकती है।

157. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट संदर्भ में लोकहित की जांच की है। टीपीयू आधारित पीपीएफ अंतिम उपयोग वाली संरक्षण फिल्म है, जिसका उपयोग मुख्यतः वाहन क्षेत्र में पेंट की गई और अन्य सतहों को खरोंच, घर्षण, पत्थर के कणों, मौसम प्रभाव और पर्यावरणीय क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। यह आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त कोई मूल कच्चा माल अथवा औद्योगिक मध्यवर्ती नहीं है। अतः पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से व्यापक विनिर्माण श्रृंखला में उल्टा शुल्क ढांचा अथवा क्रमिक लागत प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। आर्थिक प्रभाव, यदि कोई हो, खरीदारों के सीमित वर्ग तक ही सीमित रहने की संभावना है।

158. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं पीयूसी को उच्च श्रेणी का वाहन उत्पाद बताया है और अपने तर्कों के समर्थन में व्यापार-चिह्न, आश्वासन, लक्जरी वाहन प्रयोक्ताओं और उच्च श्रेणी स्थिति-निर्धारण पर भरोसा किया है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि पीयूसी कोई आवश्यक वस्तु नहीं, बल्कि एक विवेकाधीन और मूल्य-वर्धित संरक्षणात्मक उत्पाद है। ऐसी परिस्थितियों में लोकहित की पूर्ति घरेलू उत्पादन की कीमत पर किसी विवेकाधीन अंतिम-उपयोग उत्पाद की कीमतों को अनुशासित करने के लिए क्षतिकारक पाटन की अनुमति देकर नहीं होती।

159. प्राधिकारी ने इस अनुरोध की जांच की है कि शुल्क घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार सृजित करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को नहीं रोकता, घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सेदारी आवंटित नहीं करता और प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर आयातित उत्पाद प्राप्त करने से नहीं रोकता। यह केवल पाटन से उत्पन्न अनुचित कीमत लाभ को निष्प्रभावी करता है। आयातक और प्रयोक्ता घरेलू वस्तु तथा चीन जन. गण. और अन्य स्रोतों से आयात तक पहुंच बनाए रखेंगे, बशर्ते पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचाएं।

160. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में टीपीयू आधारित पीपीएफ का बाजार घरेलू उद्योग द्वारा अनुप्रयोग केंद्रों, इंस्टॉलर प्रशिक्षण, उत्पाद जागरूकता और बाजार निर्माण में किए गए निवेश से महत्वपूर्ण सीमा तक विकसित हुआ है। अभिलेख दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने लगभग 170 गरवारे अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किए हैं और पीयूसी के समुचित अनुप्रयोग/स्थापना के लिए लगभग 900-1000 पेशेवरों को प्रशिक्षित/सक्षम किया है।

161. प्राधिकारी ने रोजगार संबंधी पहलुओं पर भी विचार किया है। अभिलेख दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने पीयूसी से संबंधित रोजगार में वृद्धि की है और निचले स्तर पर इंस्टॉलर/अनुप्रयोग क्षमता भी सृजित की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादन, बिक्री, अनुप्रयोग केंद्रों और स्थापना सेवाओं से जुड़े कुशल और अर्द्ध-कुशल कार्मिकों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का समर्थन करता है।

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण नहीं होगा। यदि उपाय की सिफारिश की जाती है, तो वह जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के संदर्भ में संतुलित होगा। पीयूसी के अंतिम उपयोग स्वरूप, महत्वपूर्ण निचले स्तर की औद्योगिक निर्भरता के अभाव, उत्पाद के विवेकाधीन/उच्च श्रेणी स्वरूप, घरेलू बाजार विकास प्रयासों, रोजगार और कौशल-सृजन पारिस्थितिकी तंत्र तथा पाटित कीमतों से उत्पन्न आयात निर्भरता से बचने की आवश्यकता को देखते हुए, पाटनरोधी उपाय लोकहित के विरुद्ध नहीं हैं।

163. अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से बचाना नहीं, बल्कि पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति को संबोधित करना है।

अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण

164. अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण उसके कीमत निर्धारण, बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता और समग्र उपभोक्ता कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यक है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को अनुचित कम कीमत वाले आयातों से बचाने के लिए लगाया जाता है, इससे निचले स्तर के उद्योग और अंतिम उपभोक्ता की खरीद लागत में वृद्धि भी हो सकती है। अतः घरेलू विनिर्माताओं को मिलने वाले संरक्षणात्मक लाभ और अंतिम प्रयोक्ताओं पर वित्तीय भार, दोनों का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है। पीपीएफ की लागत संरचना और एक कार में पीपीएफ की औसत

आवश्यकता के आधार पर अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

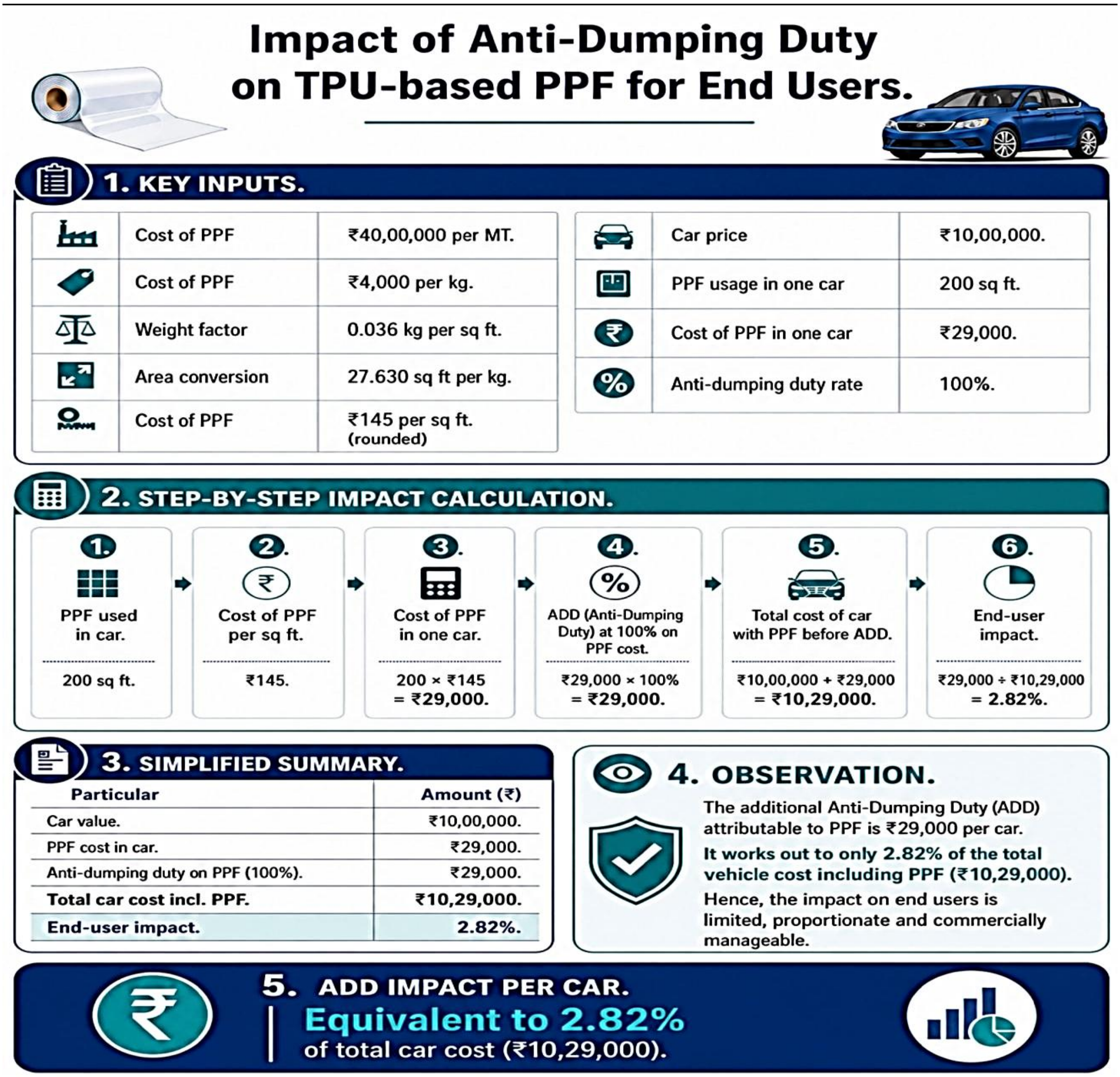

165. इससे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर कथित भार सीमित और अनुपातिक है। 10,00,000 रुपये मूल्य की कार के लिए पीपीएफ की आवश्यकता 200 वर्ग फुट है, जिसकी लागत 29,000 रुपये है। 100 प्रतिशत की उच्च पाटनरोधी शुल्क दर मानने पर भी शुल्क का प्रभाव 29,000 रुपये ही होगा। यदि इसकी तुलना पीपीएफ सहित कार के कुल मूल्य, अर्थात 10,29,000 रुपये, से की जाए, तो प्रभाव केवल 2.82 प्रतिशत है। अतः शुल्क उपभोक्ताओं पर कोई असंगत भार उत्पन्न नहीं करता है। यह एक छोटा, मापनीय और वाणिज्यिक रूप से प्रबंधनीय व्यय है, जबकि इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है और पाटित आयातों से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है।

ठ. प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

i. 3एम इनोवेशन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और 3एम इंडिया लिमिटेड ने अनुरोध किया कि एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक अधिक है और ऐसा प्रतीत होता है कि 3एम सिंगापुर के माध्यम से किए गए उच्च कीमत वाले निर्यातों पर समुचित विचार किए बिना इसे निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह पुष्टि करने का अनुरोध किया कि निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय ऐसे विक्रयों पर विधिवत विचार किया गया है।

ii. 3एम ने अनुरोध किया कि उसके आयात उच्च श्रेणी, व्यापार-चिह्नित और आश्वासन-समर्थित उत्पाद हैं, जिनका पहुंच मूल्य चीन जन. गण. से औसत आयात और घरेलू बिक्री कीमत से काफी अधिक है। यह तर्क दिया गया कि ऐसे उच्च कीमत वाले आयात कीमत संबंधी क्षति नहीं पहुंचा सकते और घरेलू समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में उनकी अलग से जांच की जानी चाहिए।

iii. 3एम ने पीसीएन पद्धति पर भी आपत्ति की और कहा कि अन्य प्रासंगिक कारकों पर पर्याप्त विचार किए बिना केवल रंग और परिष्करण को मानदंड के रूप में अपनाया गया है। उसने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, कीमत प्रभाव और क्षति संकेतकों की पीसीएन-वार जांच का अनुरोध किया।

iv. 3एम और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यदि कोई शुल्क अनुशंसित किया जाता है, तो वह संदर्भ कीमत अथवा मानक शुल्क के रूप में होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि स्थिर अथवा मूल्यानुसार शुल्क उन उच्च कीमत वाले आयातों को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा जो पहले से ही क्षतिरहित स्तर से ऊपर हैं, जबकि संदर्भ कीमत शुल्क उचित कीमत वाले आयातों को अनुमति देगा और उपभोक्ता विकल्प बनाए रखेगा।

v. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने रंगीन टीपीयू आधारित पीपीएफ और 1.83 मीटर चौड़ाई वाली टीपीयू आधारित सतह संरक्षण फिल्म को बाहर रखने की मांग की। उनका तर्क था कि इन उत्पादों का जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निर्माण और वाणिज्यिक विक्रय नहीं किया गया तथा इनके लिए भिन्न विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चा माल, हैंडलिंग और अंतिम उपयोग अनुप्रयोग आवश्यक हैं।

vi. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने 200 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले टीपीयू पीपीएफ, रंगीन टीपीयू पीपीएफ और सनरूफ टीपीयू पीपीएफ को बाहर रखने का अनुरोध किया और कहा कि ये उत्पाद भौतिक विशेषताओं, निष्पादन, लागत, कीमत, ग्राहक वरीयता और प्रतिस्थापनीयता में भिन्न हैं। तथापि, उन्होंने इस स्पष्टीकरण का स्वागत किया कि स्वतंत्र अलेपित/बेस टीपीयू फिल्म पीयूसी के दायरे से बाहर है।

vii. हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया कि दोषपूर्ण/विनिर्देश से भिन्न उत्पादों और भिन्न आश्वासन अवधि वाले उत्पादों की नियमित घरेलू वस्तुओं से समायोजन के बिना तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी भिन्नताएं गुणवत्ता, टिकाऊपन, लागत, वाणिज्यिक मूल्य, पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन को प्रभावित करती हैं।

viii. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि वे अभिलेख पर लेनदेन-वार आंकड़ों सहित सहयोगी उत्पादक/निर्यातक हैं और नमूना चयनित निर्यातकों के भारित औसत मार्जिन के उपयोग पर आपत्ति करते हैं। उनका दावा था कि उनके निर्यात उच्च श्रेणी और उच्च कीमत वाले हैं, जिनका पहुंच मूल्य एनआईपी से अधिक है; अतः व्यक्तिगत जांच अथवा संदर्भ कीमत शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।

ix. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी के स्वयं के मात्रा संबंधी आंकड़े क्षति के निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते, क्योंकि घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी

पर्याप्त रूप से बढ़े हैं। उनका तर्क था कि आयातों में वृद्धि विकासशील टीपीयू पीपीएफ बाजार में मांग वृद्धि को मात्र दर्शाती है।

x. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया कि यदि कोई क्षति हुई है तो वह संबद्ध आयातों से नहीं, बल्कि गैर-संबद्ध आयातों, प्रारंभिक लागतों, क्षमता विस्तार, श्वेत-लेबल/निर्यातोन्मुख उत्पादन, उच्च श्रेणी निर्यात आदेशों, विशिष्ट राल, आश्वासन-संबद्ध लागतों, कच्चे माल की अस्थिरता और विदेशी मुद्रा परिवर्तन जैसे अन्य कारकों से हुई है। उन्होंने जांच समाप्त करने अथवा वैकल्पिक रूप से संदर्भ कीमत रूप में सीमित शुल्क लगाने का अनुरोध किया।

xi. हितबद्ध पक्षकार ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि गरवारे अनुप्रयोग केंद्रों, इंस्टॉलर नेटवर्क, विक्रय-पश्चात समर्थन और बाजार-विकास गतिविधियों से संबंधित व्यय को क्षति अथवा एनआईपी निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण का समर्थन किया और अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने उत्पाद दायरा, आधार, गोपनीयता, नमूना चयन, पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, अनन्य-आरोपण, क्षति मार्जिन और लोकहित से संबंधित आवश्यक तथ्यों की सही जांच की है।

ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों से हुई क्षति का उपचार करना है, न कि घरेलू उद्योग को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से बचाना। प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकृत तथ्य पाटन, कीमत कटौती, कीमत अवरोध/ह्रास और चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करते हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने उत्पाद दायरे की पुष्टि टीपीयू आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म के रूप में करने का अनुरोध किया, इस स्पष्टीकरण के साथ कि स्वतंत्र अलेपित/बेस टीपीयू फिल्म दायरे से बाहर है। उसने रंग, चौड़ाई, मोटाई, आश्वासन, प्रकाशीय स्पष्टता, धुंधलापन, पराबैंगनी टिकाऊपन, रासायनिक प्रतिरोध, लोच, शक्ति, व्यापार-चिह्न अथवा अंतिम उपयोग के आधार पर अपवर्जन अनुरोधों का विरोध किया।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि तकनीकी और वाणिज्यिक भिन्नता, अप्रतिस्थापनीयता और समानता के अभाव को सिद्ध करने का भार अपवर्जन मांगने वाले पक्षकार पर है। घरेलू उद्योग के अनुसार रंग, चौड़ाई, मोटाई और सनरूफ अनुप्रयोग उसी टीपीयू आधारित पीपीएफ उत्पाद परिवार के भीतर केवल विनिर्देश/अनुप्रयोग हैं और अपवर्जन से शुल्क परिहार की संभावना पैदा हो सकती है।

v. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति का समर्थन किया और कहा कि आश्वासन कोई अंतर्निहित भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि वाणिज्यिक प्रतिबद्धता है। इसी प्रकार कथित दोषपूर्ण, बी-श्रेणी अथवा छोटे रोल संबंधी विवरण वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य पीसीएन मानदंड नहीं हैं।

vi. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड भारत में घरेलू समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, भारतीय उत्पादन का पूरा हिस्सा रखता है, उसने जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह किसी निर्यातक/आयातक से संबंधित नहीं है। अतः वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

vii. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता, नमूना चयन, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर प्राधिकारी के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उसने अनुरोध किया कि एनआईपी, एनएसआर, लागत, लाभप्रदता, आवंटन पद्धति और ग्राहक विवरण जैसी संवेदनशील वाणिज्यिक सूचना को सही ढंग से गोपनीय माना गया है; नियम

गैर गोपनीय

17(3) के तहत नमूना चयन उचित था; गैर-नमूना सहयोगी निर्यातकों को भारित औसत मार्जिन मिलना चाहिए; और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-एक के पैरा 7 के अंतर्गत सही रूप से निर्धारित किया गया है।

viii. घरेलू उद्योग ने संदर्भ कीमत शुल्क के अनुरोध का विरोध किया और श्वेत-लेबल उत्पादन, उच्च श्रेणी निर्यात आदेश, विशिष्ट राल, आश्वासन-आधारित लागत अंतर, निर्यातोन्मुख लागत और बढ़े हुए लागत आधार से संबंधित आरोपों को काल्पनिक और असमर्थित बताया। उसने अनुरोध किया कि शुल्क लगाना लोकहित के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि टीपीयू पीपीएफ उच्च श्रेणी/विवेकाधीन वाहन सहायक उत्पाद है और उपाय केवल उचित कीमत वाले आयातों को सुनिश्चित करेगा, साथ ही घरेलू विनिर्माण, मूल्य-वर्धन और रोजगार का समर्थन करेगा।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

I. प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर सामान्य विचार

166. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन के बाद के अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन के बाद किए गए अनेक अनुरोध वे ही हैं जो जांच के दौरान पहले ही किए गए थे और प्रकटन विवरण में जिनकी जांच की जा चुकी है। तथापि, प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित और अंतिम निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सभी संगत टिप्पणियों पर विचार किया है।

II. प्रकटन टिप्पणियां दायर करने के लिए दिए गए समय पर आपत्ति

167. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर करने के लिए अपर्याप्त समय दिए जाने की आपत्ति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच नियमावली के अंतर्गत समयबद्ध है। इस आपत्ति को उठाने वाले पक्षकारों सहित हितबद्ध पक्षकारों ने विस्तृत प्रकटनोत्तर टिप्पणियां दायर की हैं। टिप्पणियों को अभिलेख पर लिया गया और उनकी जांच की गई है। किसी पक्षकार ने कोई विशिष्ट प्रतिकूलता सिद्ध नहीं की अथवा यह नहीं दिखाया कि दिए गए समय के कारण कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा जा सका। अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

III. नया प्रकटन विवरण जारी करने का अनुरोध

168. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मात्र इस कारण नया प्रकटन विवरण जारी करना आवश्यक नहीं है कि कोई हितबद्ध पक्षकार प्रकटीकृत तथ्यों से असहमत है। नियम 16 विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है। प्रकटन विवरण ने अंतिम निर्धारण के आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया है। अतः नया प्रकटन विवरण जारी करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

IV. उत्पाद दायरा और अपवर्जन अनुरोध

169. प्राधिकारी ने रंगीन टीपीयू पीपीएफ, 1.83 मीटर चौड़ाई वाले टीपीयू पीपीएफ, 200 माइक्रोन से अधिक टीपीयू पीपीएफ, सनरूफ टीपीयू पीपीएफ, उच्च प्रकाशीय स्पष्टता पीपीएफ, अत्यल्प धुंधलापन पीपीएफ, विस्तारित पराबैंगनी टिकाऊपन पीपीएफ, रासायनिक प्रतिरोधी पीपीएफ, सटीक लोच पीपीएफ और उच्च

शक्ति टीपीयू पीपीएफ को बाहर रखने के अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म है और विनिर्देश, निष्पादन दावे, रंग, चौड़ाई, मोटाई, परिष्करण, आश्वासन अथवा अनुप्रयोग में अंतर स्वयं उत्पाद के मूल चरित्र को परिवर्तित नहीं करता।

170. यह सिद्ध करने का भार कि कोई उत्पाद रूपांतर तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से भिन्न, अप्रतिस्थापनीय और समान वस्तु नहीं है, अपवर्जन मांगने वाले पक्षकार पर है। हितबद्ध पक्षकारों ने पर्याप्त सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह सिद्ध हो कि जिन उत्पादों को बाहर रखने की मांग की गई है वे टीपीयू आधारित पीपीएफ के दायरे से बाहर पृथक वस्तुएं हैं। अतः अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।

V. बेस/अलेपित टीपीयू फिल्म संबंधी स्पष्टीकरण

171. तथापि, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्र अलेपित/बेस टीपीयू फिल्म टीपीयू आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म नहीं है और पीयूसी के दायरे से बाहर है। ऐसी बेस फिल्म विचाराधीन तैयार सतह/पेंट संरक्षण फिल्म नहीं है।

VI. उत्पाद अपवर्जनों में परिहार की चिंता

172. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि रंग, चौड़ाई, मोटाई, आश्वासन, श्रेणी, व्यापार-चिह्न स्थिति अथवा अंतिम उपयोग विवरण जैसी संकीर्ण उत्पाद व्याख्याओं के आधार पर अपवर्जन अनुरोध स्वीकार करने से शुल्क परिहार का अवांछित मार्ग खुल सकता है। उत्पाद विवरण में मामूली परिवर्तन को जांच के उपचारात्मक उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

VII. पीसीएन पद्धति

173. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति पर आपत्तियों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपनाए गए पीसीएन मानदंड वर्तमान जांच के तथ्यों में उचित तुलना के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ उत्पाद विशेषताओं को समाहित करते हैं। प्रकटन के बाद के चरण में पीसीएन पद्धति को पुनः खोलने या संशोधित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

VIII. आश्वासन और दोषपूर्ण वस्तुएं पीसीएन मानदंड के रूप में

174. आश्वासन उत्पाद की अंतर्निहित भौतिक विशेषता नहीं है। यह व्यापार-चिह्न नीति, इंस्टॉलर पद्धति, विक्रय-पश्चात रणनीति और संविदात्मक शर्तों पर निर्भर वाणिज्यिक आश्वासन है। इसी प्रकार दोषपूर्ण, विनिर्देश से भिन्न, बी-श्रेणी अथवा छोटे रोल जैसी अभिव्यक्तियां पीसीएन वर्गीकरण के लिए एकसमान, वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य उत्पाद-परिभाषक मानदंड नहीं हैं। दोष अनेक कारणों, स्तरों और वाणिज्यिक समझ के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और किसी खेप को बी-श्रेणी अथवा छोटा रोल बताना उत्पादकों और निर्यातकों के बीच तुलनीय मानकीकृत तकनीकी मानदंड सिद्ध नहीं करता। अतः प्राधिकारी इस आधार पर पीसीएन पद्धति में संशोधन नहीं करते।

IX. घरेलू उद्योग और आधार

175. प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) की आधार संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गरवारे भारत में घरेलू समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है।

X. गोपनीयता

176. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता दावों की जांच की है। एनआईपी, एनएसआर, बिक्री लागत, लाभप्रदता, आवंटन पद्धति, ग्राहक पहचान, आपूर्तिकर्ता/ग्राहक-विशिष्ट आंकड़े और लेनदेन-स्तर वाणिज्यिक विवरण से संबंधित सूचना वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील है। प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है और जहां नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित था, वहां अगोपनीय सार, प्रवृत्तियां, सीमाएं अथवा सूचकांक उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित किया है।

XI. उत्पादकों/निर्यातकों का नमूना चयन

177. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के अनेक उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच में सहयोग किया। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या और जांच को समयबद्ध रूप से पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार नमूना चयन अपनाया। निर्यातों की सबसे बड़ी प्रतिनिधिक मात्रा के आधार पर नमूना उत्पादकों/निर्यातकों का चयन वस्तुनिष्ठ, अनुमन्य और नियमावली के अनुरूप है।

XII. व्यक्तिगत जांच अनुरोध

178. प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करते कि उच्च श्रेणी स्थिति, व्यापार-चिह्न मूल्य, आश्वासन, ग्राहक वर्ग अथवा अधिक पहुंच मूल्य के आधार पर प्रत्येक सहयोगी निर्यातक की व्यक्तिगत जांच आवश्यक है। यदि प्रत्येक गैर-नमूना निर्यातक को ऐसे आधारों पर व्यक्तिगत जांच दी जाए तो नमूना चयन निरर्थक हो जाएगा। अतः गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का व्यक्तिगत जांच का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

XIII. नमूना और गैर-नमूना निर्यातकों का उपचार

179. प्राधिकारी ने नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए हैं। गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मार्जिन नमूना चयन पद्धति और नियमावली के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है।

XIV. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

180. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-एक के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। जहां स्वीकार किया गया, वहां डीजी सिस्टम्स आंकड़ों और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर आवश्यक समायोजन करने के बाद कारखाना-द्वार निर्यात कीमत प्राप्त करने हेतु निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

XV. उच्च कीमत अथवा उच्च श्रेणी आयात

181. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि विशिष्ट व्यापारियों अथवा व्यापार-चिह्नित चैनलों के माध्यम से बिक्री सहित उच्च कीमत अथवा उच्च श्रेणी आयात क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उच्च कीमत वाले लेनदेनों का अस्तित्व संपूर्ण संबद्ध आयातों के संबंध में पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध को समाप्त नहीं करता। उच्च श्रेणी व्यापार-चिह्न स्थिति अथवा उच्च कीमत वाली बिक्री भारतीय बाजार में क्षतिकारक कीमतों पर प्रवेश कर रहे पाटित आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा के क्षतिकारक प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

XVI. सकारात्मक मात्रा मापदंडों के बावजूद क्षति

182. प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करते कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग अथवा बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि वास्तविक क्षति के निष्कर्ष को रोकती है। क्षति की जांच कीमत प्रभाव, लाभप्रदता, प्रतिफल, नकद लाभ, बिक्री लागत और युक्तिसंगत प्रतिफल अर्जित करने की क्षमता सहित सभी संगत आर्थिक मापदंडों के आधार पर की जानी होती है। विस्तारित अथवा हाल ही में स्थापित घरेलू उद्योग भी वास्तविक क्षति झेल सकता है, यदि पाटित आयात उसकी कीमतों को दबाते या घटाते हैं।

XVII. मांग वृद्धि और आयात वृद्धि

183. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में वृद्धि बाजार अवसर की व्याख्या कर सकती है, किंतु वह पाटित आयातों के क्षतिकारक कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करती। मुद्दा यह नहीं है कि भारत में आयातों की आवश्यकता है अथवा नहीं, बल्कि यह है कि संबद्ध देश से आयात पाटित हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा नहीं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव और वास्तविक क्षति कारित की है।

XVIII. अनन्य-आरोपण और अन्य ज्ञात कारक

184. प्राधिकारी ने गैर-संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग का हालिया प्रवेश, प्रारंभिक लागतों, क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास और ब्याज लागत, बाजार विकास व्यय, निर्यातोन्मुखता, श्वेत-लेबल निर्माण, आश्वासन दायित्व, उत्पाद मिश्रण, कच्चे माल की कीमतों और विदेशी मुद्रा परिवर्तन सहित अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए कि ये कारक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ते हैं।

XIX. एनआईपी, क्षति मार्जिन और कमतर शुल्क नियम

185. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत सूचना के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-तीन के अनुसार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उनके आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नमूना चयन पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है। कमतर शुल्क नियम विधि के अनुसार लागू किया गया है।

XX. शुल्क का रूप, लोकहित और अंतिम निष्कर्ष

186. प्राधिकारी ने संदर्भ कीमत शुल्क के अनुरोध की जांच की है। उत्पाद की प्रकृति, आगत लागतों और आयात कीमतों में अस्थिरता तथा प्रभावी और प्रशासनिक रूप से लागू किए जा सकने वाले उपचार की आवश्यकता को देखते हुए, प्राधिकारी वर्तमान मामले के तथ्यों में संदर्भ कीमत शुल्क को उपयुक्त नहीं मानते। पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता; यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें।

187. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि टीपीयू आधारित पीपीएफ मुख्यतः वाहन क्षेत्र में प्रयुक्त अंतिम उपयोग वाली संरक्षण फिल्म है और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अनिवार्य कच्चा माल नहीं है। किसी पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क लगाए जाने से लोकहित पर अनुपातहीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्राधिकारी उत्पाद दायरे, घरेलू उद्योग, नमूना चयन, पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, अनन्य-आरोपण, क्षति मार्जिन और लोकहित पर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और शुल्क तालिका के अनुसार निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

188. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू) आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म है। स्वतंत्र अलेपित/बेस टीपीयू फिल्म, जो टीपीयू आधारित सतह/पेंट संरक्षण फिल्म नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

ख. वर्तमान जांच के प्रयोजन से अपनाई गई पीसीएन पद्धति अंतिम उत्पाद के रंग और अंतिम उत्पाद की परिष्करण पर आधारित है। आश्वासन, दोषपूर्ण श्रेणी, बी-श्रेणी, छोटे रोल अथवा समान विवरणों के आधार पर पीसीएन पद्धति में संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय हैं तथा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

घ. गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड भारत में घरेलू समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक घरेलू समान वस्तु के संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है, उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है। अतः आवेदक पाटनरोधी नियमावली के

नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

ङ. प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद संबद्ध वस्तुओं के आयात की जांच के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

च. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या को देखते हुए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार नमूना चयन अपनाया। नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उनके प्रश्नावली उत्तरों की जांच और सत्यापन के बाद निर्धारित किए गए हैं। गैर-नमूना सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मार्जिन नमूना पद्धति के अनुसार और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

छ. चीन जन. गण. से किसी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-एक के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स आंकड़ों और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों, जहां स्वीकार किए गए, के आधार पर आवश्यक समायोजनों के बाद निर्धारित की गई है।

ज. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।

झ. घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

i. विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान बढ़ी है।

ii. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से और भारत में खपत के संबंध में तीव्रता से बढ़ी है।

iii. संबद्ध आयात भारतीय बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी, समान वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के बावजूद, काफी कम बनी हुई है।

iv. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

v. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया और घटाया है तथा घरेलू उद्योग को लागत वसूल करने और युक्तिसंगत प्रतिफल अर्जित करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है।

vi. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में उत्पादन और बिक्री बढ़ाई है। तथापि, कुछ मात्रा मापदंडों में सुधार वास्तविक क्षति को नकारता नहीं है, जहां कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई देती है।

vii. घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वित्तीय हानि, नकारात्मक नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।

viii. भारत में उत्पाद की मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग युक्तिसंगत प्रतिफल अर्जित नहीं कर सका है।

ix. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

x. कुछ उच्च कीमत वाले अथवा उच्च श्रेणी आयातों का अस्तित्व संपूर्ण संबद्ध आयातों के संबंध में पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संबंध को नकारता नहीं है।

xi. पाटित आयात ऐसी कीमतों पर हैं जो घरेलू उद्योग को अपनी लागत और युक्तिसंगत प्रतिफल के अनुरूप कीमत निर्धारण करने से रोकते हैं। इस प्रकार पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

ञ. घरेलू उद्योग को किसी अन्य ज्ञात कारक से क्षति नहीं हुई है। गैर-संबद्ध देशों से आयात, प्रारंभिक लागत, क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास और ब्याज लागत, बाजार विकास व्यय, निर्यातोन्मुखता, श्वेत-लेबल निर्माण, उच्च श्रेणी उत्पाद स्थिति, आश्वासन दायित्व, उत्पाद मिश्रण, कच्चे माल की कीमतें, विदेशी मुद्रा परिवर्तन अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया कोई अन्य कारक, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, संबद्ध देश से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को नहीं तोड़ता।

ट. एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाना व्यापक जनहित में होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है:

i. ड्यूटी लगाने से डंपिंग के तरीकों से विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों को मिलने वाले अनुचित लाभ को रोका जा सकेगा और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग को समान अवसर मिल सकेगा।

ii. एंटी-डंपिंग ड्यूटी आयात पर रोक नहीं लगाती है। उचित और बिना-डंपिंग वाली कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात जारी रह सकता है।

iii. टीपीयू-आधारित पीपीएफ मुख्य रूप से ऑटोमोटिव क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षात्मक फिल्म है। यह आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए कोई अनिवार्य कच्चा माल नहीं है।

iv. किसी भी संबंधित पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि ड्यूटी लगाने से जनहित पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

v. उत्पाद की प्रकृति, इनपुट लागत और आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव, और एक प्रभावी व लागू करने योग्य उपाय की आवश्यकता को देखते हुए, रेफरेंस प्राइस ड्यूटी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

vi. ड्यूटी लगाने से उचित कीमत वाले आयात को रोके बिना घरेलू विनिर्माण, घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार, कौशल विकास और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

vii. ड्यूटी के दायरे से किसी आवेदन या उत्पाद के प्रकार को बाहर रखने का कोई मामला नहीं बनता है, सिवाय इस स्पष्टीकरण के कि स्टैंडअलोन बिना-कोटेड/बेस टीपीयू फिल्म विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

ढ. <u>सिफारिशें</u>

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू और संचालित करने

के बाद प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को संतुलित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

190. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	39095000, 39191000, 39199010, 39199090, 39201019, 39201099, 39206190, 39206290, 39206919, 39206922, 39206929, 39206939, 39206999, 39209490, 39209912, 39209919, 39209939, 39209991, 39209999, 39211310, 39211390, 39211900, 39219029, 39219099,	टीपीयू आधारित पीपीएफ	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	एनएआर कोटिंग टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	22,353	एमटी	अमेरिकी डॉलर
2		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	नानटोंग एनकेओडीए पॉलीयूरेथेन टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	31,141	एमटी	अमेरिकी डॉलर
3		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड	18,504	एमटी	अमेरिकी डॉलर
4		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	सीहो फिल्म कंपनी लिमिटेड	26,126	एमटी	अमेरिकी डॉलर
5		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित	झाओकिंग केएल	26,126	एमटी	अमेरिकी डॉलर

	39269069, और 39269099			कोई भी देश				
6		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	झाओकिंग मोर्थिक फिल्म टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	26,126	एमटी	अमेरिकी डॉलर
7		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	बीजिंग झोंगशुओ वेईये टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड	26,126	एमटी	अमेरिकी डॉलर
8		वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 से 7 में उल्लिखित उत्पादकों के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक	34,027	एमटी	अमेरिकी डॉलर
9		वही	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	34,027	एमटी	अमेरिकी डॉलर

टिप्पणी - उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का उपयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करेगा। ऐसे चालान पर उस संस्था के किसी अधिकारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए जिसने चालान जारी किया है, और जिसमें अधिकारी का नाम तथा पद उल्लेखित हो। घोषणा निम्नानुसार होगी:

> “मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेची गई (उत्पाद से संबंधित मात्रा) (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में निर्मित की गई है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।” यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादको के लिए लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

ण. आगे की प्रक्रिया

191. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी

गैर गोपनीय

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 12-06-2026
21:39:36